[2021] 11 एस. सी. आर 985

प्रदीप एस. वोडियार

बनाम

कर्नाटक राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1288

29 नवंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथऔर बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस। 193 , 209 465 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 -

कर्नाटक वन नियम, 1969-विशेष न्यायालय की लेने की शक्ति

संज्ञान-खनन प्रेषण अनुमति के बिना अवैध रूप से निकाले गए लौह अयस्क की खरीद और बिक्री के आरोप और खनन और भूवैज्ञानिक विभागों और वन विभाग को शुल्क का भुगतान-प्राथमिकी दर्ज की गई और एक अंतिम रिपोर्ट यू/एस। 173 प्रस्तुत की गई-अतिरिक्त शहर और सिविल सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश ने अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद संज्ञान लिया-उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाएं यू / s.482 Cr.P.C. आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए खारिज कर दिया गया था-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि विशेष न्यायालय (जो एक सत्र न्यायालय है) को अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है।

एस को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए मामला किए बिना। 193 सी. आर. पी. सी.-चूंकि मजिस्ट्रेट ने तत्काल मामले में अपराधों का संज्ञान लेने से पहले विशेष अदालत को मामला नहीं सौंपा था, इसलिए यह तर्क दिया गया है कि संज्ञान लेने का आदेश दूषित है क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र के बिना है और इससे न्याय की विफलता हुई है-आयोजितः विशेष न्यायालय के पास, उस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, मजिस्ट्रेट यू/एस द्वारा मामले को किए बिना एमएमडीआर अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है। 209 सी. आर. पी. सी.-विशेष न्यायाधीश का दिनांक 30.12.2015 का संज्ञान लेने का आदेश इसलिए अनियमित है-हालाँकि, एस. 465 मुकदमे के शुरू होने और पूरा होने में देरी को रोकने के लिए-S.465 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्वर्ती आदेशों जैसे कि संज्ञान लेने वाले आदेश और समन आदेश पर भी लागू होती है-इसलिए, भले ही संज्ञान लेने का आदेश अनियमित हो, यह धाराओं को देखते हुए कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा। 465 सी. आर. पी. सी.-जहाँ तक न्याय की विफलता का संबंध है, मुख्य सिद्धांत जो एस. का मार्गदर्शन करता है। 465 (2) सी. आर. पी. सी. यह है कि एक अनियमित आदेश को जल्द से जल्द चुनौती दी जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

- तत्काल मामले में, संज्ञान लेने के दो साल बाद अपीलार्थी द्वारा संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई थी-अत्यधिक देरी की व्याख्या करने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया था-इसके अलावा,

समादेशित न्यायालय की भूमिका कम हो जाती है। 209 1898 की पूर्ववर्ती संहिता के तहत न्यायिक अदालत की भूमिका की तुलना में 1973 की संहिता की धारा 460 और 461 में दिए गए संज्ञान आदेश में अनियमितता का श्रेणीकरण और अपराध की गंभीरता, न्याय की विफलता को प्रदर्शित नहीं किया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 193 - खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957-कर्नाटक

वन नियम, 1969-अपराध का संज्ञान और अपराधी का नहीं विशेष न्यायाधीश ने एक आदेश में उल्लेख किया है कि आरोपी के खिलाफ संज्ञान लिया जाता है-चाहे केवल इसलिए कि संज्ञान आदेश में उल्लेख किया गया है कि 'आरोपी' के खिलाफ संज्ञान लिया गया है, पूरी कार्यवाही को दूषित किया जाएगा-आयोजित: यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अपराध का संज्ञान लिया जाता है न कि अपराधी का, हालांकि, संज्ञान आदेश इंगित करता है कि विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लेने से पहले मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक सामग्री का अध्ययन किया है-आदेश के रूप में परिवर्तन से इसका प्रभाव नहीं बदलेगा आदेश अनजाने में संज्ञान लेता है

उल्लेख किया कि विशेष न्यायाधीश ने अपराध के बजाय अभियुक्त के खिलाफ संज्ञान लिया है-यह पूरे मामले को दूषित नहीं करेगा।

कार्यवाही।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 कर्नाटक वन नियम, 1969-दंड प्रक्रिया संहिता,

1973 – एसएस। 193 , 220 - दंड संहिता, 1860-आई. पी. सी. के तहत अपराधों का विशेष अदालत द्वारा संज्ञान-यह तर्क दिया गया कि भले ही विशेष न्यायाधीश को अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति हो, वह केवल एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान ले सकता था और आई. पी. सी. के प्रावधानों के तहत अपराधों का संज्ञान (और परीक्षण) नहीं ले सकता था-आयोजित: चूँकि आई. पी. सी. के तहत अपराधों को उसी लेन-देन के दौरान किया गया है जो एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराधों के रूप में किया गया है, इसलिए स्थिति पूरी तरह से धाराओं की उप-धारा (1) द्वारा कवर की गई है। 220 सी. आर. पी. सी.-विशेष न्यायालय के पास एम. एम. डी. आर.

अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने और यदि अनुमत हो तो अन्य अपराधों के साथ संयुक्त मुकदमा चलाने की शक्ति है। 220 सी. आर. पी. सी.-एम. एम. डी. आर. अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो इंगित करता है कि एस। 220 सी. आर. पी. सी. एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।

प्रदीप एस. वोडियार बनाम। कर्नाटक राज्य

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957-कर्नाटक वन नियम, 1969-दंड प्रक्रिया संहिता,

1973 – एस। 193 संज्ञान आदेश और दिमाग का गैर-अनुप्रयोग-खनन प्रेषण परमिट के बिना अवैध रूप से निकाले गए लौह अयस्क की खरीद और बिक्री के आरोप और खनन और भूवैज्ञानिक विभागों और वन विभाग को शुल्क का भुगतान करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई और एक अंतिम रिपोर्ट यू/एस। 173 प्रस्तुत की गई अतिरिक्त नगर और सिविल सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश ने अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद संज्ञान लिया-यह तर्क दिया गया कि संज्ञान लेने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश ने उनके समक्ष रखी गई सामग्री पर पर्याप्त रूप से विवेक का प्रयोग नहीं किया है-अभिनिर्धारित किया गया: विशेष न्यायाधीश ने यू/एस द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया। 173 सी. आर. पी. सी. और एक निजी शिकायत के आधार पर नहीं-विशेष न्यायाधीश ने अपराध का संज्ञान लेने से पहले एफ. आई. आर., गवाहों के बयानों और संबंधित दस्तावेजों पर ध्यान दिया-इस पृष्ठभूमि में, विशेष न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर दोष देना दूर की बात होगी कि यह संज्ञान लेने के लिए विस्तृत कारणों को प्रस्तुत नहीं करता है या यह इंगित नहीं करता है कि यह दिमाग का उपयोग है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 - धारा 22-कर्नाटक वन नियम, 1969-दंड संहिता

प्रक्रिया, 1973-खनन प्रेषण अनुमति के बिना अवैध रूप से निकाले गए लौह अयस्क की खरीद और बिक्री के आरोप और खनन और भूवैज्ञानिक विभागों और वन विभाग को शुल्क का भुगतान-प्राथमिकी दर्ज की गई और एक अंतिम रिपोर्ट यू/एस। 173 प्रस्तुत किया गया-अतिरिक्त शहर और सिविल सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश ने अंतिम रिपोर्ट को देखने के बाद संज्ञान लिया-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय) के समक्ष अपराध का संज्ञान लिया गया था, अधिकृत व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी: 29 मई 2014 और 21 जनवरी 2014 की अधिसूचनाओं के एक संयुक्त पठन से संकेत मिलता है कि लोकायुक्ता का उप-निरीक्षक एस के उद्देश्य के लिए एक अधिकृत व्यक्ति है। 22 एम. एम. डी. आर. अधिनियम की-वह एफ़. आई. आर. जो यू/एस. प्रतिबंध को दूर करने के लिए दर्ज की गई थी। 22 लोकायुक्ता पुलिस के उपनिरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और

एस. आई. टी. द्वारा जानकारी दी गई थी-इसलिए, प्रतिवादी ने एस. का अनुपालन किया था। 22 एमएमडीआर अधिनियम।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 - धारा 23 कर्नाटक वन नियम, 1969- दंड संहिता [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रक्रिया, 1973-प्रत्यावर्ती दायित्व-खरीद के आरोप

खनन प्रेषण अनुमति के बिना अवैध रूप से निकाले गए लौह अयस्क को बेचना और खनन और भूवैज्ञानिक विभागों और वन विभाग को शुल्क का भुगतान-प्राथमिकी दर्ज की गई और यू/एस के तहत एक अंतिम रिपोर्ट। 173 अतिरिक्त शहर और सिविल सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश ने अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद संज्ञान लिया-यह तर्क दिया गया कि आरोप पत्र में ए-1 की कोई भूमिका नहीं बताई गई है और इसलिए उसके खिलाफ शुरू की गई प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए- आयोजित: यह तय करना कि क्या

एस में निर्धारित शर्तें। 23 एम. एम. डी. आर. अधिनियम को पूरा किया गया है यह विचारण का विषय है-इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र, वास्तव में, परिवहन के भुगतान के लिए ए-1 और ए-2 की भूमिका बताता है-इसलिए, ए-1 के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है, जो इस स्तर पर उसे अभियुक्त के रूप में आरोपित करने के लिए पर्याप्त है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: विशेष न्यायालय की संज्ञान लेने की शक्ति

1. सी. आर. पी. सी. की धारा 193 में कहा गया है कि सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट उसे मामला नहीं सौंप देता। एकमात्र अपवाद यह है कि यह संहिता या क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किया गया है। न तो संहिता और न ही एमएमडीआर अधिनियम में यह प्रावधान है कि न्यायालय सीधे अपराधों का संज्ञान ले सकता है। इसलिए, सत्र न्यायालय के पास संज्ञान लेने का अधिकार नहीं था। [पैरा 34] [1018-ए-बी]

धारा 465 दंड प्रक्रिया संहिता

2. धारा 465 में कहा गया है कि सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा पारित आदेश को किसी न्यायालय द्वारा उलट या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

मुकदमे या किसी जांच से पहले कार्यवाही की अनियमितता के कारण अपील का न्यायालय। यह तय किया गया कानून है कि संज्ञान पूर्व परीक्षण या जांच चरण है। इसलिए, संज्ञान आदेश की अनियमितता प्रावधान द्वारा कवर की जाती है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रावधान अनियमित संज्ञान आदेश

जैसे पूर्व-परीक्षण आदेशों पर लागू होता है या केवल दोषसिद्धि या बरी करने के आदेशों पर लागू होता है, यह आवश्यक है कि प्रावधान की व्याख्या प्रासंगिक रूप से की जाए। [पैरा 37]

[1019 - डी-ई]

3. यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या धारा 465 के तहत संज्ञान आदेश की अनियमितता को माफ करने से विफलता होगी।

कर्नाटक राज्य

न्याय की। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यह निम्नलिखित कारणों से न्याय की विफलता का कारण नहीं बनेगा:

(i) नई संहिता की धारा 209 के तहत अपराध करने वाले न्यायालय की घटती भूमिका, जब वह मामले को न्यायालय को सौंपता है। सत्र न्यायालय। भूराजी में निर्णय के साथ-साथ रतिराम में बाद के निर्णय दोनों ने ध्यान दिया कि संहिता के तहत

1898 , मजिस्ट्रेट के पास समर्पण के स्तर पर एक व्यापक शक्ति थी जिसमें गवाहों से पूछताछ करने और प्रतिपरीक्षा की अनुमति देने की शक्ति शामिल थी। ऐसी शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के प्रावधानों में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित है। इसके विपरीत, धारा 209 यह बहुत स्पष्ट करती है कि जब कोई मामला पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा स्थापित किया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, तो मजिस्ट्रेट धारा 207 या धारा 208, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों का पालन करने के बाद मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देगा। जिस परिस्थिति में मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना पड़ता है, वह केवल यह है कि क्या अपराध विचारण योग्य है।

विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा। चूँकि दोषी मजिस्ट्रेट के पास इस स्तर पर प्रयोग न करने की व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं, इसलिए इसका प्रयोग न करने से पक्षकारों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा; (ii) धारा 460 और 461 के तहत संज्ञान आदेश की अनियमितता में श्रेणीकरण, धारा 460 और 461 के तहत, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने वाले आदेश को आदेश की अनियमितता पर निर्णय लेने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर या मजिस्ट्रेट की अपनी जानकारी के आधार पर संज्ञान लेने वाले आदेश की तुलना में अधिक दर्जा दिया गया है। श्रेणीकरण के पीछे का कारण यह है कि पूर्व मामले में, मजिस्ट्रेट के पास अपने निर्णय को आधार बनाने के लिए पुलिस द्वारा की गई जांच के आधार पर सामग्री होती है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जानकारी के आधार पर संज्ञान लेने पर अनुपस्थित हो सकती है। इस मामले में, संज्ञान था

एस. आई. टी. की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। इसलिए, मामला पूरी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (बी) के तहत आता है जो धारा 460 के तहत, भले ही अनियमित हो, कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा; (iii) एमएमडीआर अधिनियम का उद्देश्य: अपीलार्थियों पर निर्यात से जुड़े एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप है और बिना अनुमति के खनिजों का परिवहन। [2021] 11 एस. सी. आर. के तहत अपराध।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. एम. डी. आर. अधिनियम पर्यावरणीय अपराध हैं। इन अपराधों का होता है प्रभाव

व्यापक रूप से समाज। ये अपराध पूरे समुदाय के कल्याण को नुकसान पहुँचाते हैं और प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय अपराध भौगोलिक या राज्य सीमा के भीतर सीमित नहीं है। पर्यावरणीय अपराध का प्रभाव सीमाओं और समय से परे है; (iv) अधिनियम के अधिनियमन के समय इसकी प्रस्तावना ने संकेत दिया कि यह खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए एक अधिनियम है। प्रावधान का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उल्लंघनकर्ताओं को उस ओर से विधिवत गठित अदालत के समक्ष मुकदमे की त्वरित प्रक्रिया द्वारा दंडित किया जाए; और (v) मुकदमे के शुरू होने में देरी: वर्तमान मामले में, दो की काफी देरी हुई थी

वर्षों से। [पैरा 44] [1023-ई-एच; 1024-ए-जी; 1025-एच; 1026-बी-सी]

अपराध का संज्ञान, न कि अपराधी का

4. इस न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, विशेष न्यायाधीश

30 दिसंबर 2015 के एक आदेश द्वारा संज्ञान लेने से पहले उनके समक्ष सभी प्रासंगिक सामग्री का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्राथमिकी और गवाह के बयान शामिल हैं। सवाल यह उठता है कि क्या केवल इसलिए कि संज्ञान आदेश में उल्लेख किया गया है कि आरोपी के खिलाफ संज्ञान लिया गया है, पूरी कार्यवाही को दूषित कर दिया जाएगा। अनजाने में संज्ञान लेने वाले आदेश में उल्लेख किया गया है कि विशेष न्यायाधीश ने अपराध के बजाय आरोपी के खिलाफ संज्ञान लिया है। इससे पूरा माहौल खराब नहीं होगा।

कार्यवाहियां, विशेष रूप से जहां पर सामग्री की जानकारी

अपराध के बारे में विशेष न्यायाधीश के संज्ञान में लाया गया था और उस पर विचार किया गया था। [पैरा 52] [1031-जी-एच; 1032-ए-बी]

आई. पी. सी. के तहत अपराधों के विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान

5. आई. पी. सी. की धारा 409 लोक सेवक, बैंकर या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात के अपराध से संबंधित है, जबकि आई. पी. सी. की धारा 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। चूँकि ये दोनों अपराध एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराधों के समान लेनदेन के दौरान किए गए हैं, इसलिए स्थिति पूरी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 की उप-धारा (1) द्वारा कवर की गई है। अब यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या धारा 220 सी. आर. पी. सी. को लागू किया जा सकता है

एमएमडीआर अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही। [पैरा 58] [1036-ए-बी] प्रदीप एस. वुडयार बनाम।

कर्नाटक राज्य

सीआरपीसी में निहित। धारा 4 (2) में कहा गया है कि किसी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच की जाएगी और इसके अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। समान प्रावधान, किसी भी अन्य अधिनियम के अधीन जो जांच और परीक्षण के तरीके को नियंत्रित करता है। धारा 5 में कहा गया है कि संहिता में कुछ भी शक्ति प्रदान करने वाले किसी विशेष कानून को प्रभावित नहीं करेगा, और

अधिकारिता, जब तक कि इसके विपरीत कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 30 सी में कहा गया है कि जब तक अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक सी. आर. पी. सी. विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होगी। इसलिए, एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 30 सी के साथ सी. आर. पी. सी. की धारा 4 और 5 के संयुक्त अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होगी जब तक कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम इसके विपरीत कुछ भी प्रदान नहीं करता है। ये

प्रावधानों में स्पष्ट निरसन का सिद्धांत शामिल है-यानी, जब तक कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा सी. आर. पी. सी. के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक सी. आर. पी. सी. के तहत निर्धारित प्रक्रिया विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होगी। चूंकि कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो धारा 220 सी. आर. पी. सी. के अनुप्रयोग को बाहर करता है, इसलिए इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या एम. एम. डी. आर. अधिनियम ने आवश्यक निहितार्थ से धारा के अनुप्रयोग को बाहर रखा है। 220 सीआरपीसी। [पैरा 59,60 और 62] [1036-सी-डी, एफ-एच; 1037-सी-डी]

7. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को आई. पी. सी. की धारा 409 और 420 के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। दूसरी ओर, सत्र न्यायाधीश को एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। यदि एम. एम. डी. आर. अधिनियम और आई. पी. सी. के तहत अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वारा एक साथ की जाती है,

कोई विसंगति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां पदानुक्रम में निचले स्थान पर रखे गए न्यायाधीश को कृत्रिम रूप से एम. एम. डी. आर. अधिनियम और संहिता दोनों के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान की गई हो। इसके अतिरिक्त, यदि अपराधों की सुनवाई अलग-अलग मंचों द्वारा अलग-अलग की जाती है, हालांकि वे एक ही लेन-देन से उत्पन्न होते हैं, तो कई कार्यवाहियां होंगी और न्यायिक समय की बर्बादी होगी, और इसके परिणामस्वरूप विरोधाभासी निर्णय हो सकते हैं। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक ऐसा निर्माण जो कठिनाई, असुविधा, अन्याय, बेतुकेपन और विसंगति की अनुमति देता है, से बचा जाना चाहिए।

[2021] 11

एस. सी. आर. की धारा 30 बी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. एम. डी. आर. अधिनियम और धारा 220 सी. आर. पी. सी. सामंजस्यपूर्ण हो सकते हैं।

इस तरह का निर्माण न्याय को आगे बढ़ाता है। इसलिए, धारा 30 बी के आवेदन को निहित रूप से निरस्त करने के लिए नहीं माना जा सकता है

विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220। [पैरा 67] [1040-जी-एच; 1041-ए-बी]

संज्ञान क्रम और मन का गैर-अनुप्रयोग

8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेष न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया और न कि

एक निजी शिकायत के आधार पर। इसलिए, मामला पूरी तरह से अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा के फैसले के दायरे में आता है। द.

विशेष न्यायाधीश ने अपराध का संज्ञान लेने से पहले प्राथमिकी, गवाहों के बयानों और संबंधित दस्तावेजों पर ध्यान दिया। इस पृष्ठभूमि में, विशेष न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर दोष देना दूर की बात होगी कि वह विस्तृत विवरण नहीं देता है संज्ञान लेने के कारण या यह इंगित नहीं करता है कि यह मन का उपयोग है। इस मामले के तथ्यों में, इसलिए, संज्ञान लेने का आदेश गलत नहीं है। [पैरा 75] [1047-ई-जी]

' प्राधिकृत व्यक्ति 'और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22

9. एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या नियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा

उस ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत के। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इससे पहले

विशेष अदालत (सत्र अदालत) ने अपराध का संज्ञान लिया, अधिकृत व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। [पैरा 76] [1047-जी-एच; 1048-ए] 10. कर्नाटक सरकार ने 29 मई 2014 को एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की कि महानिरीक्षक का कार्यालय

पुलिस का विशेष जांच दल, कर्नाटक लोकायुक्ता धारा 2 (ओं) के प्रयोजन के लिए एक पुलिस थाना होगा और संबंधित अपराधों के लिए पूरे कर्नाटक राज्य में इसका अधिकार क्षेत्र होगा।

खनिजों के अवैध खनन के लिए। एस. आई. टी., लोकायुक्ता द्वारा इस न्यायालय के 16 तारीख के आदेश के अनुसार एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी।

सितम्बर 2013 में कर्नाटक के पुलिस उप-निरीक्षक, लोकायुक्ता ने हस्ताक्षर किए। 29 मई 2014 की अधिसूचना को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि खनन अपराधों के संबंध में एस. आई. टी. का अधिकार क्षेत्र पूरे कर्नाटक में है।

एस. नं. PRADEEP S. WODEYAR v. कर्नाटक राज्य

21 जनवरी 2014 की अधिसूचना एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के उद्देश्य के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस उप-निरीक्षक को अधिकृत करती है। इसलिए, दोनों के संयुक्त पठन पर

अधिसूचना, यह दिन की रोशनी के रूप में स्पष्ट है कि एस. आई. टी. द्वारा दायर और पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित शिकायत का पालन किया गया है एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22। [पैरा 80] [1052-एच; 1053-ए-सी]

प्रत्यावर्ती दायित्व और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23

11. ए-1 ने कहा कि आरोप पत्र में ए-1 की कोई भूमिका नहीं बताई गई है और इसलिए उसके खिलाफ शुरू की गई प्रक्रिया अनिवार्य है।

निरस्त किया जाए। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 (1) में कहा गया है कि जहां किसी कंपनी द्वारा अपराध किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो

अपराध के समय व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार माना जाएगा -

अपराध का दोषी। परंतुक में कहा गया है कि उप-धारा (1) में निहित कुछ भी ऐसे व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

अपराध का कमीशन। [पैरा 82] [1054-ई-एफ] 12. यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण है कि क्या प्रबंध निदेशक को कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए आरोपित किया जाना चाहिए

यह निर्धारित करना कि क्या एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 की शर्तों को पूरा किया गया है, यानी कि क्या व्यक्ति अपराध के दौरान कंपनी के मामलों का प्रभारी और जिम्मेदार था। उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी की ओर से जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शर्तों में निर्धारित किया गया है या नहीं इसका निर्धारण एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23 को पूरा कर लिया गया है जो एक परीक्षण का विषय है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र, वास्तव में, भुगतान के लिए ए-1 और ए-2 की भूमिका बताता है।

परिवहन। इसलिए, ए 1 के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक मामला है, जो इस स्तर पर उसे आरोपी के रूप में आरोपित करने के लिए पर्याप्त है। [पैरा 84] [1056-सी-ई]

13. न्यायालय के निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है:

(i) विशेष न्यायालय के पास, उस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है -

[2021] 11 एस. सी. आर. के बिना एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत एक अपराध।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 209 सी. आर. पी. सी. के तहत इसके लिए प्रतिबद्ध। विशेष न्यायाधीश का 30 दिसंबर 2015 का आदेश

अतः संज्ञान अनियमित है; (ii) धारा 465 का उद्देश्य मुकदमे के प्रारंभ और समापन में देरी को रोकना है। धारा 465 सी. आर. पी. सी. अंतर्वर्ती आदेशों जैसे कि संज्ञान लेने वाले आदेश और समन आदेश पर भी लागू होती है। इसलिए, भले ही संज्ञान लेने का आदेश अनियमित हो, यह धारा 465 सी. आर. पी. सी. को देखते हुए कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा; (iii) गंगुला अशोक में निर्णय को मुकदमे के चरण के आधार पर रट्टीराम में अलग किया गया था। मुकदमे के चरण पर आधारित इस भेदभाव को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 (2) के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। धारा 465 (2) यह इंगित नहीं करती है कि यह केवल मुकदमे के समापन के बाद पूर्व-परीक्षण आदेशों की चुनौतियों को शामिल करती है। द कार्डिनल

यह निर्धारित करते हुए कि क्या न्याय की विफलता थी, न्यायालयों को इसे चुनौती के चरण के संदर्भ में संबोधित करना चाहिए, अपराध की गंभीरता और अन्य बातों के साथ-साथ कार्यवाही को बढ़ाने के स्पष्ट इरादे; तत्काल मामले में, संज्ञान लेने के दो साल बाद अपीलार्थी द्वारा संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई थी। अत्यधिक देरी की व्याख्या करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। इसके अलावा,

1973 की संहिता की धारा 209 के तहत समादेशित न्यायालय की घटती भूमिका को देखते हुए, 1898 की पूर्ववर्ती संहिता के तहत समादेशित न्यायालय की भूमिका की तुलना में,

धाराओं में किए गए संज्ञान क्रम में अनियमितता का श्रेणीकरण

460 और 461 और अपराध की गंभीरता, न्याय की कोई विफलता प्रदर्शित नहीं की गई है; (iv) यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अपराध का संज्ञान लिया जाता है न कि अपराधी का। हालांकि, संज्ञान आदेश इंगित करता है कि विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लेने से पहले मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक सामग्री का अध्ययन किया है। आदेश के रूप में परिवर्तन से इसका प्रभाव नहीं बदलेगा। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के तहत न्याय की कोई विफलता साबित नहीं होती है। इस प्रकार यह अनियमितता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 को देखते हुए कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी; (v) विशेष न्यायालय के पास शक्ति है एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेना और यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 के तहत अनुमति है तो अन्य अपराधों के साथ संयुक्त मुकदमा चलाना। एमएमडीआर अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो इंगित करता है कि धारा 220 सीआरपीसी कार्यवाही पर लागू नहीं होती है

एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत; (vi) एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 30 बी प्रदीप एस. वोडेयर बनाम।

कर्नाटक राज्य

सी. आर. पी. सी. की धारा 220 को निहित रूप से निरस्त नहीं किया गया है। दोनों प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जा सकता है और इस तरह की व्याख्या न्याय को आगे बढ़ाती है और कठिनाई को रोकती है क्योंकि यह कई प्रावधानों की बहुलता को रोकती है। कार्यवाही; (vii) चूंकि विशेष न्यायाधीश द्वारा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया गया था, न कि एक निजी शिकायत के आधार पर, विशेष न्यायाधीश के लिए पूरी तरह से तर्कपूर्ण आदेश जारी करना अनिवार्य नहीं है यदि यह अन्यथा प्रतीत होता है कि विशेष न्यायाधीश ने सामग्री पर अपना दिमाग लगाया है; (viii) 29 मई 2014 और 21 जनवरी 2014 की अधिसूचनाओं का संयुक्त अध्ययन इंगित करता है कि लोकायुक्ता का उप-निरीक्षक एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के उद्देश्य के लिए एक अधिकृत व्यक्ति है। धारा 22 के तहत बाधा को दूर करने के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी पर उप-निरीक्षक ने हस्ताक्षर किए हैं।

एस. आई. टी. ने लोकायुक्ता पुलिस और जानकारी दी। इसलिए, प्रत्यर्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 का अनुपालन किया है; और (ix) यह प्रश्न कि क्या ए-1, एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23 (1) के प्रावधान के तहत आवश्यक कथित अपराध के दौरान कंपनी के मामलों का प्रभारी और जिम्मेदार था, परीक्षण का विषय है। ए-1 के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक मामला प्रतीत होता है, जो उसे आरोपित करने के लिए पर्याप्त है।

इस स्तर पर एक आरोपी के रूप में। [पैरा 85] [1056-एफ-एच; 1057-ए-एच; 1058-ए-ई]

धरम पाल बनाम। हरियाणा राज्य, एक संविधान पीठ (2014) 3 एस. सी. सी. 303: [2013] 13 एस. सी. आर. 1052-अनुसरण किया गया।

रतिराम वी. मध्य प्रदेश राज्य (2012) 4 एससीसी 516: [2012] 3 एससीआर 496; किशुन सिंह बनाम। बिहार राज्य (1993) 2 एससीसी 16: [1993] 1 एस. सी. आर. 31; नगर परिषद, पलाई बनाम। टी. जे. जोसेफ एयर 1963 एस. सी. 1561:

[1964] एससीआर 87; हर्षद मेहता बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2010) 8 एस. सी. सी. 257; पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (1998) 5 एस. सी. सी. 749: [1997] 5 पूरक। एस. सी. आर. 12; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. संजय (2014) 9 एससीसी 772: [2014] 9 एस. सी. आर. 1063; एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स बनाम। नीता भल्ला (2005) 8 एससीसी 89: [2005] 3 पूरक। एससीआर 371; मैनुद्दीन अब्दुल सत्तार शेख बनाम। विजय डी साल्वी

(2015) 9 एससीसी 622: [2015] 6 एससीआर 1033-पर भरोसा किया गया।

गंगुला अशोक बनाम। एपी राज्य (2000) 2 एससीसी 504: [2000] 1 एस. सी. आर. 468; एम. पी. राज्य बनाम भुराजी (2001) 7 एस. सी. सी. 679 [2021] 11 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकारी वी. वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, (2008) 2 एससीसी 492 [2008] 2 एससीआर 36; फखरुद्दीन अहमद बनाम। उत्तरांचल राज्य (2008) 17 एस. सी. सी. 157: [2008] 13 एससीआर 66; राज्य डब्ल्यू. बी. वी. मोहम्मद. खालिद (1995) 1 एससीसी 684: [1994] 6 पूरक। एससीआर 16; रंजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1998) 7 एससीसी 149: [1998] 2 पूरक। एससीआर 8; आरएन अग्रवाल बनाम। आर. सी. बंसल (2015) 1 एस. सी. सी. 48: [2014] 14 एससीआर 1124; हर्षद मेहता बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2010) 8 एस. सी. सी. 257; उड़ीसा राज्य बनाम। मेसर्स एम. ए. टुलोच, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1284: [1964] एस. सी. आर. 461; सिंडिकेट बैंक बनाम। प्रभा डी. नाइक, (2001) 4 एससीसी 713: [2001] 2 एस. सी. आर. 714; एम. पी. राज्य बनाम। केडिया लेदर एंड लिकोर लिमिटेड, (2003) 7 एससीसी 389: [2003] 2 पूरक। एस. सी. आर. 727; लाल शाह बाबा दरगाह

ट्रस्ट वी। मैगनम डेवलपर्स, (2015) 17 एससीसी 65: [2015] 10 एससीआर 966; दीप चंद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

(1959) 2 एससीआर 8; फखरुद्दीन अहमद बनाम। उत्तरांचल राज्य (2008) 17 एससीसी 157: [2008] 13 एससीआर 66; महमूद उल रहमान बनाम। खज़ीर मोहम्मद टुंडा

(2015) 12 एससीसी 420: [2015] 4 एससीआर 841; सुनील भारती मित्तल बनाम। सीबीआई (2015) 4 एससीसी 609: [2015] 1 एस. सी. आर. 377; रवींद्रनाथ बाजपेयी बनाम। बैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक

जोन लिमिटेड आपराधिक अपील सं। 1047-1048 / 2021 ; भूषण कुमार बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2012) 5 एस. सी. सी. 424 [2012] 2 एस. सी. आर. 696; गुजरात राज्य बनाम। अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता (2019) 20 एस. सी. सी. 539; कंवर पाल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 14 एससीसी 331: 2019 (12) जे. टी. 420; जयंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) 2 एस. सी. सी. 670; 2020 (12) जे. टी. 52; शिव प्रदीप एस. वोडियार बनाम।

कर्नाटक राज्य

कुमार जटिया बनाम। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2019) 17 एस. सी. सी. 193: [2019]

11 एस. सी. आर. 210; सुनील सेठी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन 806 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 1 एससीआर 468

पैरा 25

संदर्भित किया गया है

[2001] 2 पूरक। एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का No.1288।

उच्च न्यायालय के 12.11.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की आपराधिक याचिका No.2512 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार की ओर से।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1289 और 2021 का 1290।

प्रवीण एच. पारेख, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. उदय कुमार

सागर, सुश्री बीना माधवन, एल. एम. चिदानंदय्या, सुश्री आकांक्षा मेहरा, मैसर्स लॉयर एस. निट एंड कंपनी, नवीन कुमार, विनीत कुमार, शौरजीत चक्रवर्ती, सिद्धार्थ गर्ग, सुश्री देवांशी सिंह, हिमांशु चौबे, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

निखिल गोयल, एएजी, वी. एन. रघुपति, आशुतोष घाड़े, विनय

मैथ्यू, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सामग्री * A. तथ्य।

..... 3

B. प्रस्तुतियाँ।

..... 13

... . 17

ग. विश्लेषण।

... . 17

C. 1 संज्ञान लेने की शक्ति।

19

ग. 2 विशेष न्यायालय की संज्ञान लेने की शक्ति

ग. 2.2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 और अंतर्वर्ती आदेश।

* सामग्री मूल निर्णय के अनुसार है।

[2021] 11

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. 2 सी. आर. पी. सी. की धारा 465 और न्याय की विफलता।

ग. 3 अपराध का संज्ञान, न कि अपराधी का। सी. 4 के तहत अपराधों के विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान

..... 47

आईपीसी।

ग. 4.1 संयुक्त परीक्षण और स्पष्ट निरसन। ... .

..... 51

ग. 4. संयुक्त मुकदमा और निहित निरसन। 54

सी. 6 'अधिकृत व्यक्ति' और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22। 67 ग. 7 प्रत्यावर्ती दायित्व और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23।

D. निष्कर्ष

..... 78

A. तथ्य

1. कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दो को बर्खास्त कर दिया

अपीलार्थियों द्वारा आई. पी. सी. की धारा 120बी के साथ पठित धारा 409 और 420, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) और 4 (1) (ए) के साथ पठित धारा 21 और 23 और कर्नाटक वन नियम 1969 के नियम 144 के साथ पठित नियम 165 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विशेष अपराध संहिता (आई. डी. 1)/2015 (अपराध से उत्पन्न) में उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिकाएं।

2. प्रदीप एस. वोडेयार, जो केनरा ओवरसीज लिमिटेड के नाम से एक कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं, को पहले आरोपी 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है और वह एसएलपी (आपराधिक) संख्या 138/21 से उत्पन्न अपील में अपीलार्थी हैं। लक्ष्मीनारायण गुब्बा, जो उक्त कंपनी के निदेशक हैं, को दूसरे आरोपी 3 के रूप में प्रस्तुत किया गया है और वे एसएलपी (आपराधिक) No.1448/2021 से उत्पन्न अपील में अपीलार्थी हैं।

3. आपराधिक मामले के अवलोकन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

4. 1 जून 2009 को, केनरा ओवरसीज लिमिटेड, एक कंपनी जो सौदा करती है

निर्यात और आयात में कथित तौर पर खनिज खनिकों के मालिक तीसरे आरोपी के. रामप्पा के साथ समझौता किया गया है।

1 " एमएमडीआर अधिनियम "

3 " ए-2 "

4 " ए-3 "प्रदीप एस. वडियार बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

और लौह अयस्क के निर्यात के उद्देश्य से बेल्लारी के व्यापारी। अनुसरण में

समझौते के अनुसार, कंपनी ने ए-3 से 31 मीट्रिक टन (एम. टी.) लौह अयस्क खरीदा, जिसमें से 20,000 मीट्रिक टन 1 जनवरी 2009 से 31 मई 2010 की अवधि के बीच चीन को निर्यात किया गया था, जबकि शेष लौह अयस्क भारत में दो अन्य कंपनियों को बेचा गया था। ये

लेन-देन कथित तौर पर कर्नाटक के बेलेकेरे बंदरगाह के माध्यम से या वहां किया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि परिवहन और निर्यात

लौह अयस्क का खनन वन विभाग और खान और भूविज्ञान विभाग से अनुमति के अभाव में किया गया था। लेन-देन में शामिल लौह अयस्क को कथित तौर पर खनन पट्टा No.921/2553, कल्लाहारी गाँव, बेल्लारी से हटा दिया गया है। चौथा आरोपी कथित तौर पर खदान का मालिक है जबकि पांचवां आरोपी उनका एजेंट है। आरोप है कि लौह अयस्क को खान और भूविज्ञान विभाग से थोक अनुमति के बिना एक अनधिकृत भंडार में रखा गया था और बिना अधिकृत वन मार्ग पास के परिवहन किया गया था। साजिश में कार्य करते हुए, अभियुक्तों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है

राज्य के खजाने को 379/- रु. 5. बड़े पैमाने पर अवैध खनन और लौह अयस्क के परिवहन और वन क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण पर लगातार शिकायतें की गईं।

अवैध खनन के उद्देश्य से। समाज परिवर्तन समुद्र में अवैध खनन के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की गई। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में वन क्षेत्र। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितियाँ, इस न्यायालय के 19 नवंबर के एक आदेश के अनुसार

20107 जनवरी, 2011 को बेल्लारी आरक्षित वन, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में छह खनन पट्टों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस न्यायालय ने 25 फरवरी 2011 के एक आदेश द्वारा सी. ई. सी. को कर्नाटक में अवैध खनन के आरोपों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आदेश के अनुसार, सी. ई. सी. ने अवैध खनन पर पाँच रिपोर्ट दायर की। इसके बाद बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में लौह अयस्क के अवैध खनन, परिवहन, बिक्री और निर्यात पर चिंता जताते हुए 3 फरवरी 2012 को सी. ई. सी. की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, इस न्यायालय द्वारा 16 सितंबर 2013 को सी. बी. आई. द्वारा जांच के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इस न्यायालय के निर्देशों का उद्देश्य इस प्रकार था:

((i)

सीबीआई को उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। जिन निर्यातकों के संबंध में प्रारंभिक जांच की गई थी

5 " ए-4 " 6 " ए-5 '7 रिट याचिका (सिविल) सं. 562/2009 8 "सीईसी" [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिना वैध अनुमति के 50,000 मीट्रिक टन से अधिक लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

((ख)

सी. बी. आई. को निर्यातकों के मामलों को संदर्भित करने की अनुमति दी गई थी जो

50, 000 मीट्रिक टन से कम का निर्यात किया था और प्रारंभिक जांच (पी. ई.) में सरकार से पूछताछ नहीं की गई थी

कर्नाटक के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए

प्रासंगिक कानूनों के साथ;

सी. बी. आई. को कर्नाटक सरकार को संदर्भित करने की अनुमति दी गई थी।

(iii)

उन निर्यातकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए जिनकी पीई में जांच की गई थी और जिन्होंने 50,000 मीट्रिक टन से कम का निर्यात किया था। वैध अनुमति के बिना लौह अयस्क; और

(iv) कर्नाटक सरकार को 50,000 मीट्रिक टन से कम का निर्यात करने वाले निर्यातकों के संबंध में 5 सितंबर 2012 की अपनी रिपोर्ट में सीईसी द्वारा अनुशंसित प्रासंगिक कानून के तहत कार्रवाई करने और अनुपालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था।

6. 22 नवंबर 2013 को, कर्नाटक सरकार ने इस न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में उपरोक्त मामलों को आगे की जांच और आपराधिक कार्यवाही के लिए लोकायुक्ता पुलिस को सौंपा। 21 जनवरी 2014 को, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें पुलिस निरीक्षक सहित कई अधिकारियों को धारा 21 की उप-धारा (3) और (4) और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 और कर्नाटक लघु खनिज रियायत नियम, 1994 के नियम 43 (3) और 46 के उद्देश्य से 'अधिकृत व्यक्तियों' के रूप में अधिकृत किया गया। 24 जनवरी 2014 को कर्नाटक सरकार ने अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ अवैध खनन की जांच के लिए कर्नाटक लोकायुक्ता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। एस. आई. टी. में पुलिस निरीक्षक शामिल थे। 29 मई 2014 को, कर्नाटक सरकार के गृह विभाग ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ओं) के अनुसरण में घोषणा की कि पुलिस महानिरीक्षक, एस. आई. टी., कर्नाटक लोकायुक्ता का कार्यालय उक्त खंड के उद्देश्य के लिए एक पुलिस स्टेशन होगा और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित खनिजों/लघु खनिजों के अवैध खनन के अपराधों के संबंध में शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था। अधिसूचना का पाठ नीचे दिया गया है:

" दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 2) की धारा 2 के खंड (ओं) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

9 " एसआईटी "

10 " सी. आर. पी. सी. "प्रदीप एस. वोडेयर बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कर्नाटक सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि आधिकारिक में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी

राजपत्र, पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, विशेष

जांच दल, कर्नाटक लोकायुक्ता, बैंगलोर उक्त खंड के प्रयोजन के लिए पूरे कर्नाटक राज्य में अधिकार क्षेत्र वाला एक पुलिस स्टेशन होगा और उसके पास खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का केंद्रीय अधिनियम 6 7) की धारा 3 के तहत परिभाषित "खनिजों" और "लघु खनिजों" के अवैध खनन के अपराधों के संबंध में शक्तियां और अधिकार क्षेत्र होगा, जो

निम्नलिखित अधिनियमों और उसके तहत बनाए गए संबंधित नियमों, यदि कोई हों, के प्रावधानों के तहत किए गए हैं:

1. भारतीय दंड संहिता, 1860

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

3. कर्नाटक वन अधिनियम, 1962

4. उपर्युक्त प्रावधानों को आगे बढ़ाने या उनका उल्लंघन करने के लिए किए गए किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत कोई अन्य अपराध।

अधिनियम बनाना या अवैध खनन करना; और

5. राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अवैध खनन के अन्य मामले।

यह अधिसूचना दो साल की अवधि के लिए लागू रहेगी।

विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) के कार्यकाल के साथ समाप्ति।

7. 9 अक्टूबर 2014 को, निम्नलिखित अभियुक्तों के खिलाफ पहले मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी:

(i) जी. लक्ष्मीनारायण गुब्बा, प्रबंध निदेशक, केनरा

विदेशी निजी लिमिटेड;

केनरा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड;

((ख) ((ग) मेसर्स मिनरल्स माइनर्स एंड ट्रेडर्स के मालिक के. रामप्पा;

और

£ ((iv) अज्ञात सरकारी अधिकारी और अज्ञात निजी अधिकारी

लोग।

8. सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

दिसंबर 2015 खिलाफ:

केनरा ओवरसीज लिमिटेड का प्रतिनिधित्व श्री प्रदीप एस. ने किया।

((i)

वोडेयार, प्रबंध निदेशक (ए-1);

((ख)

लक्ष्मीनारायण गुब्बा (ए-2); [2021] 11 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iii) के. रामप्पा (ए-3); ((iv) श्रीमती. शांतलक्ष्मी जयराम (ए-4); और

(v) जे. मिथिलाश्वर (ए-5)।

9. 29 दिसंबर 2015 को, उप-पंजीयक, सिटी सिविल कोर्ट, बेंगलुरु ने निम्नलिखित आदेश पारित किया कि आरोप पत्र में कहा गया था:

17 दिसंबर 2015 को प्रस्तुत किया गया:

" आरोप पत्र पुलिस निरीक्षक, एस. आई. टी. कर्नाटक लोकायुक्ता, बेंगलुरु द्वारा 17.12.2015 पर प्रस्तुत किया जाता है। अपराधों

उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि वे आई. पी. सी. की धारा 409,420 आर/डब्ल्यू 120 बी, आई. पी. सी. की धारा 21,23 आर/डब्ल्यू 4 (1), एम. एम. डी. आर. अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) (ए) और धारा। 165 आर/डब्ल्यू 144 कर्नाटक वन नियम 1969। प्रार्थना करें कि

इसमें बताए गए कारणों के लिए यह माननीय न्यायालय उपरोक्त अपराधों के लिए उपरोक्त नामित अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए प्रसन्न हो सकता है:

1. एफ. आई. आर. शिकायत। Cr.No.21/2014 में अपराध के कागजात संलग्न हैं।

2. संबंधित दस्तावेज तैयार किए जाते हैं।

3. गवाहों के बयान प्रस्तुत किए जाते हैं।

4. अभियुक्त प्रतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं।

6. अल एंड ए 4 को आरोप पत्र के अनुसार गिरफ्तार नहीं किया गया है। ए 2, ए 3 और ए 5 अदालत की जमानत पर हैं।

इसे XXIII अड्डी से पहले रखें। सिटी सिविल एंड सेशन जज और दयालु आदेशों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लिए विशेष न्यायाधीश।

एसडी/- 29/12/15

उप पंजीयक

सिटी सिविल कोर्ट

बेंगलुरु "।

10. 30 दिसंबर 2015 को बेंगलुरु में 23वें अतिरिक्त शहर सिविल सत्र न्यायाधीश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लिए विशेष न्यायाधीश अंतिम रिपोर्ट देखने के बाद शहर ने संज्ञान लिया। अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और समन जारी करने का भी निर्देश जारी किया गया था। आदेश इस प्रकार है:

" अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन किया। अभियुक्त के खिलाफ संज्ञान लिया जाता है

नंबर 1 से 5 तक। अभियुक्त संख्या 1 से 5 के विरुद्ध मामला दर्ज करें।

PRADEEP S. WODEYAR v. पंजीकृत करें। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अभियुक्त संख्या 1 से 5 के विरुद्ध मामला। मामला दर्ज करें और जारी करें

एस. डी./- 30.12.2015 विशेष न्यायाधीश,

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

बैंगलोर शहरी, बैंगलोर "

11. 20 मार्च 2017 को, कार्यवाही शुरू की गई थी

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अदालत

अपीलार्थियों के विरुद्ध अपील। अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित आधारों पर अप्रत्यक्ष कार्यवाही को रद्द करने की मांग की:

((i)

ए-1 कथित अवैध लेन-देन में शामिल नहीं था। वह. प्रासंगिक समय पर इंडोनेशिया में रह रहा था। द.

कंपनी के मामलों का प्रबंधन ए-2 द्वारा किया जाता था;

लेन-देन के लिए हुए समझौते के अनुसार,

((ख)

से प्रेषण अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी

संबंधित खान और भूविज्ञान विभाग और

वही परिवहन ए-3 पर था। इसलिए, ए-2 पर अनुमति के बिना लौह अयस्क की खरीद के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

(111) विशेष न्यायाधीश के संज्ञान लेने के आदेश में उन अपराधों का उल्लेख नहीं है जिनके लिए संज्ञान लिया गया था।

इसलिए, संज्ञान क्रम मन के गैर-अनुप्रयोग को दर्शाता है; और

(iv) विशेष न्यायाधीश के पास एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की शक्ति नहीं थी।

एमएमडीआर की धारा 22 को ध्यान में रखते हुए प्राधिकृत अधिकारी

एक्ट करें।

12. उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2020 के अपने फैसले से

प्रदीप एस. वोडेयार (ए-1) द्वारा दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया और

मीनारायन गुब्बा (ए-2) निम्नलिखित आधारों पर:

((i)

ए-1 पर एक प्रबंधक के रूप में मुकदमा चलाने की मांग की जाती है।

कंपनी के निदेशक। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय अपराध कर रहा था।

व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अपराध का दोषी होगा। क्या ए-1 व्यक्तिगत रूप से था प्रासंगिक लेन-देन में शामिल होने पर केवल [2021] 11 एस. सी. आर. तय किया जा सका।

मुकदमे के दौरान अल को यह साबित करना होगा कि धारा 23 के प्रावधान के संदर्भ में कथित अपराध करना उसकी जानकारी में नहीं था;

((ख)

हालांकि समझौते के अनुसार, ए-3 दिया गया था

खनिज प्रेषण अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी, ए-2 ने ए-3 प्राप्त करने पर जोर दिए बिना खनिजों का परिवहन किया

अनुमति पत्र;

(111) एस. आई. टी. की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया गया। यह पर्याप्त है यदि क्रम मन के अनुप्रयोग को दर्शाता है। यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि संज्ञान लेने वाले आदेश को लंबे तर्क के साथ विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है यदि विशेष न्यायाधीश ने खुद को संतुष्ट कर लिया है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

व्यक्ति;

((iv)

आवश्यकतानुसार अधिकृत व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी।

एस. आई. टी. रिपोर्ट के आधार पर एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 के तहत;

(v)

शिकायत और एस. आई. टी. में भी ऐसे ही आरोप हैं

रिपोर्ट करें। यदि विशेष न्यायाधीश ने एस. आई. टी. की रिपोर्ट को देखा है और खुद को संतुष्ट किया है कि आरोप प्रथम दृष्टया अपराध के होने का खुलासा करते हैं, तो विशेष न्यायाधीश ने एस. आई. टी. की धारा 22 के तहत अपराध का संज्ञान लिया है।

एमएमडीआर अधिनियम; और

(vi)

जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है।

या एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 के तहत, न्यायालय या तो अभिलेख पर तथ्यों के आधार पर संज्ञान ले सकता है या सी. आर. पी. सी. की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए शिकायत को भेज सकता है या सी. आर. पी. सी. की धारा 202 के तहत एक नई जांच का

आदेश दे सकता है। चूंकि एस. आई. टी. द्वारा पहले ही एक विस्तृत जांच की जा चुकी है, इसलिए विशेष अदालत संज्ञान लेने के उद्देश्य से एस. आई. टी. रिपोर्ट पर विचार कर सकती है।

13. एसएलपी (आपराधिक) No.138/2021 और एसएलपी (आपराधिक) No.1448/2021 को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत चुनौती देने के लिए स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय का निर्णय। सहयोगी एस. एल. पी. 1 1 से उत्पन्न अपील में, अपीलार्थी टी. बी. एस. लॉजिस्टिक्स के नाम से एक संस्था का स्वामी है जो खरीद, बिक्री और निर्यात के व्यवसाय में शामिल है।

1 1 एस. एल. पी. (आपराधिक) सं. 1923/2021 प्रदीप एस. वुडयार बनाम।

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

लौह अयस्क। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ खनन प्रेषण परमिट के बिना अवैध रूप से निकाले गए लौह अयस्क की खरीद और बिक्री और खनन और भूवैज्ञानिक विभागों और वन को शुल्क का भुगतान करने के लिए आपराधिक साजिश रची। विभाग। 9 अक्टूबर 2014 को, आई. पी. सी. की धारा 409,420 और 471 के साथ 120 बी, एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 21 और (4) (1) (ए) और कर्नाटक वन नियम, 1959 के नियम 144 और 165 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस जांच दल, कर्नाटक लोकायुक्ता बेंगलुरु के साथ अपराध मामला दर्ज किया गया था। एक आरोप पत्र था

24 नवंबर 2015 को प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लिया

30 दिसंबर 2015। अपीलार्थी ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा 18 नवंबर 2020 को निम्नलिखित कारणों से याचिका खारिज कर दी गई थी:

((i)

यह तर्क कि एस. आई. टी. के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है

उच्च न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए खनन अपराधों की जांच समग्र नहीं है। यह एक तय स्थिति है कि एस. आई. टी. के पास प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र है।

खनन अपराधों की जाँच करना;

एक अधिकृत अधिकारी ने विशेष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई

((ख)

न्यायाधीश। इसलिए, बार को देखते हुए कोई कमजोरी नहीं है

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 में निहित;

संज्ञान लेने वाले आदेश से यह स्पष्ट होता है कि विशेष

(iii)

न्यायाधीश ने अपराधों का संज्ञान लेने के लिए जाँच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई एफ़. आई. आर., आरोप पत्र, ज़ब्ती मजार और दस्तावेजों को संदर्भित किया। आदेश मन के अनुप्रयोग को दर्शाता है; और

((iv)

एस. आई. टी. द्वारा प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया स्पष्ट करती है

याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए अपराधों की सामग्री।

14. चूँकि तीनों अपीलों में समान मुद्दे उठते हैं, इसलिए उनके पास है

एक साथ सुना गया। जैसा कि पहले कहा गया है, पहली दो अपीलों में ए-1 और ए-2 अदालत के समक्ष हैं। सहयोगी अपील ए-1 (5 अभियुक्तों में से) द्वारा शुरू की गई है।

B. प्रस्तुतियाँ

15. यह इस पृष्ठभूमि में है कि समर्थन में अपीलकर्ताओं की ओर से अनुरोध की गई प्रस्तुतियों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। तीन अपीलों में से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. श्री सिद्धार्थ दवे और श्री प्रवीण एच पारेख, वरिष्ठ वकील

अपीलार्थियों की ओर से तर्कों का नेतृत्व किया। उनकी दलीलें

निम्नलिखित पंक्तियों के साथ आगे बढ़ें:

विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लेने का आदेश इसके विपरीत है।

((i)

कानून के लिए। संज्ञान, यह अच्छी तरह से तय किया गया है, अपराधों के बारे में लिया जाना चाहिए न कि अपराधी के। फिर भी विशेष न्यायाधीश ने बिना सोचे समझे अवैध रूप से काम किया है।

अभियुक्त का संज्ञान;

((ख)

ए-1 (प्रदीप एस. वोडेयार) को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

क्योंकि:

वे कंपनी के मामलों के प्रभारी नहीं थे।

(अ)

कथित अवैध कार्य के दौरान प्रासंगिक समय पर

लेन-देन;

(ख)

वह इंडोनेशिया में था और इसलिए उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता है।

व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार;

((ग) धारा 30 (ख) के अधीन गठित विशेष न्यायालय

एम. एम. डी. आर. अधिनियम के पास केवल अपराधों का मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है एमएमडीआर अधिनियम की धारा (4) (1) या धारा 4 (1) (ए) का उल्लंघन, जो धारा 21 (1) के तहत दंडनीय है। यह शक्ति

विशेष न्यायालय का विस्तार आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने (और मुकदमा चलाने) तक नहीं है;

(iv) धारा 193 सी. आर. पी. सी. सत्र न्यायालय को लेने से रोकती है।

मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा मामला नहीं किया गया हो।

संहिता के तहत। एकमात्र अपवाद यह है कि यदि

अन्यथा सी. आर. पी. सी. या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

एम. एम. डी. आर. अधिनियम या न्यायालय को सशक्त बनाने वाली संहिता में मजिस्ट्रेट द्वारा समर्पण के आदेश के बिना संज्ञान लेने के लिए सत्र; और

(v)

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं करेगा

अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान लें

या केंद्र द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत के अलावा इसके तहत बनाए गए कोई नियम।

सरकार या राज्य सरकार। वहाँ कोई नहीं था। लोकायुक्ता पुलिस के निरीक्षक के लिए प्राधिकरण और इसलिए धारा के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है

22 .

डीप एस. वोडियार बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]अपीलार्थियों की ओर से अनुरोध किए गए प्रस्तुतिकरण किए गए हैं

कर्नाटक राज्य। श्री निखिल गोयल ने आग्रह किया है कि

इस न्यायालय के समक्ष आपत्तियाँ:

ए-1 निर्विवाद रूप से केनरा के प्रबंध निदेशक थे।

अपराध किए गए। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 आपराधिक प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को शामिल करता है। द.

धारा 23 (1) के परंतुक में यह अपवाद दिया गया है कि जब

अभियुक्त की जानकारी या कि उसने सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया है, वह कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। परंतुक में शर्तों को स्थापित करना, हालाँकि, यह एक परीक्षण का विषय है। इसके अलावा, यह एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रबंध निदेशक की भूमिका अलग है क्योंकि

पद की प्रकृति, जो व्यक्ति इस पर कब्जा करता है, वह पद के संचालन का प्रभारी और जिम्मेदार होता है।

व्यवसाय;

उप-पंजीयक के आदेश से संकेत मिलता है कि जांच के पूरे कागजात विशेष न्यायाधीश के समक्ष रखे गए थे। इसके अलावा, विशेष न्यायाधीश के आदेश से संकेत मिलता है कि उन्होंने आरोप पत्र का अवलोकन किया था और उसके बाद संज्ञान लिया था और समन जारी करने के लिए आगे बढ़े थे। इसलिए, मन का

उपयोग न करने की कोई शिकायत नहीं हो सकती है। कानून में संज्ञान आधारित के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

धारा 200 सी. आर. पी. सी. के तहत शिकायतों पर जो नहीं हैं

एक जांच और एक शिकायत द्वारा आगे बढ़ाया गया एक पुलिस रिपोर्ट। एक सुविचारित संज्ञानात्मक आदेश नहीं है

पुलिस के अनुसार संज्ञान लेने की आवश्यकता होती है

रिपोर्ट करें क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास अदालत के समक्ष अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। हालाँकि, चूंकि धारा 200 सी. आर. पी. सी. शिकायत में सामग्री की कमी है, इसलिए यह केवल ऐसे मामलों में है।

कि एक संज्ञान आदेश को मन के अनुप्रयोग को साबित करने के लिए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण होने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, उच्च

अदालत एक विस्तृत चर्चा के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलार्थियों को जारी किए गए समन में अपराधों का विवरण था। इसलिए, अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में पता था। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि समन जारी करने का आदेश की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है

धारा 190 या वह संज्ञान वैध रूप से नहीं लिया गया था; [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iii)

केवल यह तथ्य कि संज्ञान सीधे द्वारा लिया गया था

सत्र न्यायालय, अपने आप में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। धारा के तहत मजिस्ट्रेट की संकुचित भूमिका को देखते हुए

209 विशेष रूप से अपराध करने के चरण में सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, मजिस्ट्रेट के प्रतिबद्ध आदेश की अनुपस्थिति का शायद ही कोई महत्व है जब तक कि न्याय की विफलता नहीं दिखाई जाती है। किसी भी स्थिति में, वर्तमान मुकदमे में, अपीलकर्ताओं ने 2017 में उच्च न्यायालय का रुख किया।

2015 के संज्ञान आदेश को चुनौती देने का आदेश। में

इस बीच, आरोप तय करने पर प्रस्तुतियाँ थीं विशेष न्यायाधीश के समक्ष संबोधित। यह इंगित करने के लिए बिल्कुल कोई सामग्री नहीं है कि न्याय की विफलता हुई है

मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित न करने के कारण

कमिटल;

(iv) इस कथन में कोई योग्यता नहीं है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 के तहत शक्ति के प्रत्यर्पण का अभाव था।

धारा 21 (i) के तहत शिकायत दर्ज करना:

(अ)

कर्नाटक सरकार ने एक विशेष आदेश जारी किया था।

21 पर धारा 22 के उद्देश्य के लिए अधिसूचना जनवरी 2014, दूसरों के बीच अधिकृत करते हुए, उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले पुलिस निरीक्षक; और

उच्च न्यायालय ने दर्ज किया है कि एक शिकायत थी

(ख)

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 (आई) के साथ पठित धारा 22 के तहत दायर किया गया है और इसमें आरोप पत्र और एसआईटी रिपोर्ट में निहित आरोपों के समान आरोप हैं।

अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित।

C. विश्लेषण

18. पक्षों की प्रस्तुतियों को स्वीकार करने के बाद, हम करेंगे

इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दें।

C. 1 संज्ञान लेने की शक्ति

19. सी. आर. पी. सी. के अध्याय XIV का शीर्षक है "शर्तों के लिए आवश्यकताएँ"

कार्यवाही "। धारा 190 मजिस्ट्रेट को लेने का अधिकार देती है।

किसी भी अपराध की संभावना:

प्रदीप एस. वोडियार बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

अपराध; (ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;

(ग) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या उसकी अपनी जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी मजिस्ट्रेट को अधिकार दे सकता है। ऐसे अपराधों की उप-धारा (1) के तहत संज्ञान लेना जो जांच करने या प्रयास करने की उसकी क्षमता के भीतर हैं।

20. धारा 190 की उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) का मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लिया जा रहा है।

च निम्नलिखित तीन विधियों पर, अर्थात्:

मजिस्ट्रेट तथ्यों की शिकायत प्राप्त कर रहा है जो

((i)

एक अपराध है;

ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट; और

((ख)

पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी

(iii)

अधिकारी या उसके अपने ज्ञान पर कि एक अपराध किया गया है प्रतिबद्ध।

तत्काल प्रभाव से, कोई भी सत्र न्यायालय नहीं लेगा मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान जब तक कि

इसके तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा मामला दर्ज किया गया है।

कोड "।

धारा 193 में कहा गया है कि जब तक मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता के तहत सत्र न्यायालय में मामला नहीं किया गया है, तब तक कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है। लेकिन örmulation के दो अपवाद हैं, अर्थात् जहाँः

सी. आर. पी. सी. ने इसके विपरीत एक स्पष्ट प्रावधान किया है;

((i)

और

इसके विपरीत एक स्पष्ट प्रावधान "किसी भी

((ख)

उस समय लागू अन्य कानून "।

धारा 193 में बाधा सत्र न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए है

मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में किसी अपराध का, जब तक कि संहिता के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मामला नहीं किया गया हो।

22. धारा 209 में कहा गया है कि जब कोई मामला या तो पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा दर्ज किया जाता है, और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि

अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, वह मामले को सत्र न्यायालय को सौंपेगा। धारा 209 इस प्रकार हैः

(क) धारा 207 या धारा 208 के प्रावधानों का पालन करने के बाद, जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायालय को मामला सौंपना और जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन, आरोपी को तब तक हिरासत में भेजना जब तक कि ऐसी प्रतिबद्धता नहीं की गई है;] (ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन, अभियुक्त को हिरासत के दौरान और उसके समापन तक हिरासत में भेजें।

मुकदमा चलाना;

(ग) उस न्यायालय को मामले का अभिलेख और दस्तावेज और लेख, यदि कोई हों, जो साक्षय के रूप में प्रस्तुत किए जाने हैं, भेजें;
(घ) लोक अभियोजक को मामले की प्रतिबद्धता के बारे में सूचित करें

सत्र न्यायालय "।

ग. 2 विशेष न्यायालय की संज्ञान लेने की शक्ति

23. अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया कि विशेष न्यायालय (जो एक सत्र न्यायालय है) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 को देखते हुए अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। चूंकि मजिस्ट्रेट ने तत्काल मामले में अपराधों का संज्ञान लेने से पहले मामले को विशेष अदालत को नहीं सौंपा था, इसलिए यह तर्क दिया गया है कि संज्ञान लेने का आदेश दूषित है। जैसा कि फैसले की पिछली धारा में कहा गया है, धारा 193 दो के अधीन है।

अपवाद-(क) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इसके विपरीत प्रावधान; (ख) किसी अन्य कानून के तहत इसके विपरीत प्रावधान।

प्रदीप एस. वोडियार बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

24. राष्ट्रीय औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 36ए (1) (डी) का संदर्भ दिया गया था।

25. इस विवाद के गुण-दोष को संबोधित करने से पहले, हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 की व्याख्या पर इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करना अनिवार्य समझते हैं। गंगुला अशोक बनाम मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। एपी राज्य अपीलार्थियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 1 6 के तहत दर्ज एक शिकायत से उत्पन्न हुआ। पुलिस ने जाँच के बाद सीधे सत्र न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। सत्र न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोप तय किए गए थे। उच्च न्यायालय को रद्द करने के लिए स्थानांतरित किया गया था प्रभार और आरोप पत्र। एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि विशेष न्यायाधीश को अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि उस पर मामला नहीं चलाया जाता है और तदनुसार कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र और उससे जुड़े कागजात पुलिस अधिकारी को वापस करने का निर्देश दिया, जिसे समर्पण के उद्देश्य से जे. एम. एफ. सी. के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था और विशेष अदालत को उचित आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर इस न्यायालय के समक्ष अपील में सवाल उठाया गया था। पहला मुद्दा जो उठा वह यह था कि क्या विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा 'मामले को किए बिना' सीधे संज्ञान ले सकते थे। एससी और एसटी अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय एक सत्र

न्यायालय था, जो अधिनियम की धारा 14 को ध्यान में रखता था। धारा 14 1 7 के प्रावधान को निर्धारित करने के बाद, न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस ने कहा कि विशेष

12 " एनएसपीएस अधिनियम "

13 " पी. सी. अधिनियम "

14 " एन. आई. ए. अधिनियम "

15 (2000) 2 एस. सी. सी. 504

16 " एससी और एसटी अधिनियम "

17 " त्वरित सुनवाई का प्रावधान करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा राजपत्र, प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करें।

अधिनियम के तहत न्यायालय का गठन केवल उन अपराधों की 'त्वरित सुनवाई' के लिए किया गया था जो 'जांच' से अलग हैं। इस संदर्भ में यह देखा गया:

" 8 ..... अतः अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष सत्र न्यायालय को निर्दिष्ट करने की मांग की जाती है -

विशेष न्यायालय। यद्यपि "परीक्षण" शब्द को संहिता या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से जांच से अलग है। संहिता की धारा 2 (जी) में "जांच" शब्द को "मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा इस संहिता के तहत किए गए मुकदमे के अलावा प्रत्येक जांच" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए मुकदमा जांच से अलग है और जांच होनी चाहिए।

हमेशा मुकदमे के अग्रदूत बनें। अधिनियम केवल विशेष न्यायालय द्वारा संचालित किए जाने वाले मुकदमे पर विचार करता है। सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का अतिरिक्त कारण इस तरह के मुकदमे की गति सुनिश्चित करना है। अधिनियम में विशेष न्यायालय को "धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट सत्र न्यायालय" के रूप में परिभाषित किया गया है।

धारा 2 (1) (डी)] "।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 (2) और 193 के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद इस न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा विशेष

न्यायालय बिना अपराध किए अपराध का संज्ञान ले सकता है और न ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यह आगे देखा गया कि चूंकि सत्र न्यायालय को पदानुक्रमित न्यायालय संरचना में उच्च स्थान दिया गया है, इसलिए विधायिका ने जानबूझकर इसे प्रारंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने से मुक्त कर दिया है:

" 10 [.....] "स्पष्ट रूप से" शब्द जो धारा 193 में उन अपवादों को दर्शाता है, विधायी जनादेश का संकेत है कि सत्र न्यायालय धारा में निहित निर्णय से केवल तभी अलग हो सकता है जब इसे स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में अलग से प्रदान किया गया हो। दूसरे शब्दों में, जब तक कि यह सकारात्मक और विशेष रूप से न हो

बशर्ते कि अलग से कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी अपराध का प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान नहीं ले सकता है, बिना किसी के द्वारा उस पर मामला किए जाने के

मजिस्ट्रेट।

11. न तो संहिता में और न ही अधिनियम में कोई प्रावधान है, यहां तक कि निहितार्थ से भी नहीं, कि निर्दिष्ट सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय) मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को किए बिना मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है। यदि ऐसा है, तो यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि आरोप पत्र या शिकायत तुरंत हो सकती है अधिनियम के तहत अपराधों के लिए ऐसे विशेष न्यायालय के समक्ष दायर किया गया। आपराधिक न्यायालयों की पदानुक्रमित व्यवस्थाओं से यह पता लगाया जा सकता है कि PRADEEP S. WODEYAR v.

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सत्र न्यायालय को श्रेष्ठ और विशेष दर्जा दिया गया है। इसलिए हम सोचते हैं कि विधायिका ने विचारपूर्वक सत्र न्यायालय को सभी प्रारंभिक कार्य करने के काम से मुक्त कर दिया होगा।

औपचारिकताएँ जो मजिस्ट्रेटों को तब तक करनी होती हैं जब तक कि मामला पूरा नहीं हो जाता

सत्र न्यायालय में "।

26. नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायालय अनिवार्य रूप से सत्र न्यायालय है और यह आपराधिक दंड प्रक्रिया

संहिता के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को किए बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। दूसरे शब्दों में, शिकायत या आरोप पत्र को सीधे पहले नहीं रखा जा सकता था।

विशेष न्यायालय। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने विशेष न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा।

27. एम. पी. राज्य में वी. भुराजी 1 3, अपीलार्थी को अन्य बातों के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था। एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) के साथ पढ़ें। चूंकि आरोप पत्र आई. पी. सी. के तहत अपराधों के साथ एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत दायर किया गया था, इसलिए अपीलार्थियों पर एससी और एसटी अधिनियम के तहत गठित एक विशेष न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया गया था। अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया। दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। पेन्डेंसी के दौरान

अपील में, इस न्यायालय ने गंगुला अशोक (ऊपर) का फैसला किया। अपीलार्थियों द्वारा एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया था जिसमें मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी क्योंकि विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को किए बिना संज्ञान लिया था। उच्च न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और आरोप पत्र और संबंधित कागजात पुलिस को वापस करने का निर्देश दिया, जिन्हें समर्पण के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था। अपील में, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 465 (1) का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि अनियमितता के कारण किसी भी निष्कर्ष को तब तक उलट नहीं दिया जाएगा जब तक कि न्याय की विफलता न हो। पीठ ने 1973 की संहिता के अधिनियमन से पहले और बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंपे जाने के प्रावधान की तुलना की। 1973 से पहले, समादेशित न्यायालय मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने का निर्णय लेने से पहले गवाहों और अभिलेखों की जांच कर सकता था। हालाँकि, 1973 के बाद, मजिस्ट्रेट को केवल यह निर्धारित करने के लिए जांच करनी है कि क्या मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है। पीठ ने 1973 के बाद दोषी अदालत की भूमिका में बदलाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि

18 (2001) 7 एस. सी. सी. 679 19 पुरानी संहिता की धारा 207 और 207 ए, और नई संहिता की धारा 209 [2021] 11 एस. सी. आर.

कि अभियुक्त मामला भेजकर कोई 'लाभ' हासिल नहीं करेगा

समर्पण के लिए मजिस्ट्रेट के पास वापस जाएँ:

" 18. यह याद रखना उचित है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 से पहले की अवधि के दौरान, पुलिस आरोप-पत्र वाले मामलों में, न्यायिक अदालत, भौतिक गवाहों की जांच कर सकती थी, और ऐसे अभिलेखों को सत्र न्यायालय को भी साथ भेजना पड़ता था। प्रतिबद्ध आदेश के साथ। लेकिन 1973 के बाद पुलिस के आरोप पत्र वाले मामलों में न्यायिक अदालत किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को केवल मामले करने होते हैं।

विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध शामिल हैं। शायद किसी अभियुक्त के लिए 1973 से पहले यह तर्क देना संभव होता कि प्रत्यर्पण कार्यवाही में शामिल न होने से वह प्रत्यर्पण अदालत में गवाहों से जिरह करने के अवसर से वंचित हो गया था और इससे उसके बचाव के लिए पूर्वाग्रह पैदा हुआ था। लेकिन यह भी पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किए गए मामलों में 1973 के बाद से किसी आरोपी के लिए उपलब्ध नहीं है। हमने बार-बार अभियुक्त के वकील से यह बताने के लिए कहा कि यदि मामला केवल एक प्रतिबद्ध आदेश के माध्यम से सत्र न्यायालय को रिकॉर्ड के पुनः प्रसारण के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट की अदालत में वापस भेजा जाता है तो अभियुक्त को क्या लाभ होगा। हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

वकील को दिए गए उपरोक्त प्रश्न के लिए।

28. एक तर्क इस आधार पर भी उठाया गया था कि धारा 465 केवल तभी लागू होगी जब आदेश 'सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत' द्वारा पारित किया गया हो, और यह कि मामले के प्रतिबद्ध होने से पहले सत्र न्यायालय एक सक्षम अदालत नहीं है। इस तर्क को खारिज करते हुए, यह था

यह मत व्यक्त किया गया कि "सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत" वाक्यांश अपराध का मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र से सम्मानित एक वैध रूप से गठित अदालत को दर्शाता है और प्रक्रिया में अनियमितता अदालत की क्षमता को कम नहीं करेगी। पीठ ने गंगुला अशोक (उपरोक्त) मामले में निर्णय को इस आधार पर अलग किया कि इस मामले के विपरीत मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ था, जहां आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद चुनौती दी गई थी। इन कारणों से, अपील की अनुमति दी गई थी।

29. मोली वी. केरल राज्य 2 और विद्याधरन बनाम। केरल राज्य 2 1 21, अभियुक्त को एससी और एसटी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था। दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी 20 (2004) 4 SCC 584 21 (2004) 1 SCC 215 PRADEEP S. WODEYAR v.

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

केरल उच्च न्यायालय द्वारा। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा समर्पण किए बिना संज्ञान नहीं ले सकता था। गंगुला अशोक (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि सत्र न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता था और दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

30. रतिराम वी. में। मध्य प्रदेश राज्य 22, तीन न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने मोली (उपरोक्त) में विचारों के विचलन पर विचार किया।

और एक ओर विद्याधरन (ऊपर) और दूसरी ओर भुराजी (ऊपर), उन मामलों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया जाता है और सीधे विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के संदर्भ में किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराने के प्रभाव पर। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने विचारों के टकराव को हल करने के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का फैसला सुनाया। न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेना था कि क्या विशेष न्यायालय द्वारा कार्यवाही किए बिना पारित संज्ञान आदेश मुकदमे के पूरा होने के बाद कार्यवाही को दूषित करने के लिए आयोजित किया जा सकता है:

शुरुआत में उसी पर हमला किए बिना परीक्षण की अनुमति देता है जारी रखें और दोषसिद्धि के निर्णय को आमंत्रित करें, क्या वह होगा

कानून में उसी पर सवाल उठाने और उसे रद्द करने की अनुमति दी गई

या मामले को किए बिना संज्ञान लेने का अधिकार और इस तरह धारा के तहत निहित जनादेश का उल्लंघन किया

193 कोड का "।

(जोर दिया गया)

31. पीठ ने इस सवाल का जवाब नकार में दिया

कि निम्नलिखित कारणों से संज्ञान आदेश में अनियमितता के कारण मुकदमा दूषित नहीं होगा:

1898 की संहिता की धारा 207 और धारा 207 ए

(1)

एक विस्तृत प्रक्रिया का प्रतिपादन किया जो होनी थी

मामला करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण किया गया

सत्र न्यायालय। 1973 की सी. आर. पी. सी. ने प्रस्थान किया

1898 की पूर्ववर्ती संहिता के प्रावधानों के तहत जिसे अभियुक्त को इससे पहले पर्याप्त अधिकार प्राप्त था।

"जो" "वास्तव में एक महत्वपूर्ण चरण है" "मामले का समर्पण।" इसके विपरीत, 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट को "केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य हैं"। स्पष्ट रूप से ध्यान दें 1898 की पूर्ववर्ती संहिता और 1973 की सी. आर. पी. सी. के बीच अंतर करते हुए, न्यायालय ने कहा कि दोनों प्रावधानों के बीच "बहुत अंतर है" और 1973 की सी. आर. पी. सी. की धारा 209 में ऐसा कुछ भी नहीं था जो दूर से भी यह सुझाव दे कि पुरानी संहिता के तहत प्रदान की गई सुरक्षा को मौजूदा संहिता से दूर कर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्पण कार्यवाही में मजिस्ट्रेट की प्रतिबंधित भूमिका को देखते हुए, प्रत्यर्पण की अनुपस्थिति न्याय की विफलता का कारण नहीं बनेगी।

((ख)

एक आपराधिक कार्यवाही के अनुरूप होने का प्रयास करना चाहिए

'त्वरित सुनवाई' और 'अपराध पीड़ित की सुरक्षा' के सिद्धांत। चूँकि आरोप तय करते समय आपत्ति नहीं उठाई गई थी, बल्कि दोषसिद्धि के बाद ही, न्याय की विफलता को पीड़ित के अधिकार और त्वरित सुनवाई के अधिकार की तुलना में असहनीय साबित किया जाना चाहिए।

इस मामले में साबित नहीं हुआ;

(iii) मोली (ऊपर) और विद्याधरन (ऊपर) प्रति हैं।

इनक्यूरियम। भुराजी (ऊपर) को सही ढंग से तय किया गया है; और

(iv) गंगुला अशोक (उपरोक्त) में, अन्य मामलों की तुलना में मुकदमा शुरू नहीं हुआ था, जहां मुकदमा चला था।

पूरा किया गया और अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। अभियुक्त ने चुनौती देने से पहले मुकदमा शुरू होने का इंतजार नहीं किया

संज्ञान आदेश।

32. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14 को 26 जनवरी 2016 से 2016 के अधिनियम 1 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। संशोधन के बाद धारा 14 (1) के परंतुक में कहा गया है कि विशेष न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। हाल ही में, शांताबेन भूराभाई भूरिया बनाम मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ। आनंद अथभाई चौधरी 23 ने एससी और एसटी अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान की

व्याख्या की। उस मामले में, एससी/एसटी अधिनियम और दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया

अपराधों और धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी की और फिर मामले को विशेष अदालत को सौंप दिया। एफ. आई. आर. और समन आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। यह तर्क दिया गया कि एससी और एसटी अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान को देखते हुए, मजिस्ट्रेट के पास अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की कोई शक्ति नहीं थी। उच्च न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और इस आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया कि धारा 14 का परंतुक मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देता है। अपील पर, इसकी दो न्यायाधीशों की पीठ न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14 का परंतुक मजिस्ट्रेट की संज्ञान लेने की शक्ति को समाप्त नहीं करता है, लेकिन यह मजिस्ट्रेट के अलावा विशेष न्यायालय को संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करता है। उच्च न्यायालय के फैसले को उलटते हुए, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

धारा 14 अधिकारिता को नहीं छीनती है

((i)

मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेना चाहिए और मुकदमे के लिए मामले को विशेष अदालत को सौंपना चाहिए। संशोधित धारा 14 में उपयोग किए गए शब्द हैं "इस प्रकार स्थापित या निर्दिष्ट न्यायालय के पास होगा

इस न्यायालय के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति। 'केवल' शब्द गायब है; और

((ख)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए,

मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने में उच्चतम स्तर पर अनियमित माना जा सकता है और वह कार्यवाहियों को दूषित नहीं करेगा।

33. विश्लेषण के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 की व्याख्या पर निर्णयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

चुनौती की समय सीमा: (i) मुकदमे के शुरू होने से पहले और बाद में, यानी मुकदमे के पूरा होने से पहले, संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाले मामले; और (ii) मुकदमे के पूरा होने के बाद संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाले मामले। गंगुला अशोक (सुप्रा) और शांताबेन (सुप्रा) पहली श्रेणी में आते हैं, जबकि रट्टीराम (सुप्रा), मोली (सुप्रा), भुराजी (सुप्रा) और विद्याधरन (सुप्रा) दूसरी श्रेणी में आते हैं। भुराजी (ऊपर) और रतिराम (ऊपर) दोनों में, हालांकि यह देखा गया था कि संज्ञान आदेश अनियमित है, यह कार्यवाही को दूषित करने के लिए नहीं माना गया था क्योंकि कोई 'न्याय की विफलता' नहीं थी जिसे धारा 465 सी. आर. पी. सी. के मद्देनजर साबित किया जा सके। हालाँकि, गंगुला अशोक (उपरोक्त) में, मुकदमा शुरू होने से पहले संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. सी. आर. पी. सी. की धारा 193 में कहा गया है कि सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट उसे मामला नहीं सौंप देता। एकमात्र अपवाद यह है कि यह संहिता या क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किया गया है। न तो संहिता और न ही एमएमडीआर अधिनियम में यह प्रावधान है कि विशेष न्यायालय सीधे अपराधों का संज्ञान ले सकता है। इसलिए, सत्र न्यायालय के पास संज्ञान लेने का अधिकार नहीं था। धारा 209 सी. आर. पी. सी. मजिस्ट्रेट को मामला करने की शक्ति प्रदान करती है। धरम पाल बनाम। हरियाणा राज्य, एक संविधान पीठ 2 4, इस पर चर्चा करते हुए कि क्या

धारा 209 के तहत अदालत का संज्ञान लेना आवश्यक था

सत्र न्यायालय में मामला करने से पहले अपराध, यह अभिनिर्धारित करता है कि मजिस्ट्रेट लेने से पहले या बाद में मामला कर सकता है संज्ञान। इस मामले में विशेष अदालत ने सीधे संज्ञान लिया है। अब यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या संज्ञान आदेश में यह अनियमितता आदेश को रद्द करने और अलग करने के लिए पूरी कार्यवाही को दूषित करती है।

35. इस प्रकार, हमारे सामने दो तरह का मुद्दा है: (i) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 में शामिल सिद्धांत पारित आदेशों पर लागू होगा। पूर्व-विचारण चरण में; और (ii) यदि (i) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या संज्ञान लेने वाले आदेश से 'न्याय की विफलता' होगी यदि इसे रद्द नहीं किया जाना था।

36. धारा 465 सी. आर. पी. सी. निम्नानुसार है: " 465. कारण से प्रतिवर्ती होने पर खोज या वाक्य

त्रुटि, चूक या अनियमितता। — (1) यहाँ पहले निहित प्रावधानों के अधीन, सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को अपील न्यायालय द्वारा उलट या परिवर्तित नहीं किया जाएगा, किसी भी कारण से पुनरीक्षण की पुष्टि। शिकायत, समन, वारंट, घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्यवाही में त्रुटि, चूक या अनियमितता

मुकदमे के दौरान या किसी जांच या अन्य कार्यवाही में

इस संहिता, या किसी भी त्रुटि, या किसी भी मंजूरी में अनियमितता अभियोजन, जब तक कि उस न्यायालय की राय में, न्याय की विफलता

वास्तव में इसका अवसर दिया गया है;

(2) यह निर्धारित करने में कि क्या इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता, या अभियोजन के लिए किसी भी मंजूरी में कोई त्रुटि या अनियमितता न्याय की विफलता का कारण बनी है,

24 (2014) 3 एस. सी. सी. 303 प्रदीप एस. वुडयार बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि क्या आपत्ति

पहले के चरण में उठाया जा सकता था और होना चाहिए था

कार्यवाही "।

(जोर दिया गया)

सामान्य सिद्धांत जो धारा 465 सी. आर. पी. सी. में सन्निहित है

कि कोई निष्कर्ष या आदेश अनियमितताओं के कारण प्रतिवर्ती नहीं है जब तक कि 'न्याय की विफलता' साबित नहीं हो जाती है। धारा 465 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि यह निर्धारित करते समय कि क्या न्याय की विफलता हुई है, अपीलीय न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या अनियमितता के संबंध में आपत्ति कार्यवाही के पहले चरण में उठाई जा सकती थी और होनी चाहिए थी। रट्टीराम (ऊपर) में गंगुला अशोक (ऊपर) को मुकदमे के चरण के आधार पर अलग करने का अवलोकन इस प्रकार संहिता की धारा 465 (2) से अपना समर्थन लेता है जहां कार्यवाही के चरण के खिलाफ चुनौती के आधार पर एक वर्गीकरण करने की मांग की जाती है।

37. धारा 465 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश

कोई भी पूछताछ। यह तय किया गया कानून है कि संज्ञान पूर्व-परीक्षण या जांच चरण है। 2 इसलिए, संज्ञान आदेश की अनियमितता प्रावधान द्वारा कवर की जाती है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रावधान अनियमित संज्ञान आदेश जैसे पूर्व-परीक्षण आदेशों पर लागू होता है या केवल दोषसिद्धि या बरी करने के आदेशों पर लागू होता है, यह आवश्यक है कि हम प्रावधान की प्रासंगिक व्याख्या करें।

38. सी. आर. पी. सी. के अध्याय XXXV का शीर्षक 'अनियमित कार्यवाही' है।

एक ओर धारा 46026 उन अनियमितताओं के लिए प्रावधान करती है, यदि कोई हो।

25 गंगुला अशोक बनाम। ए. पी. राज्य, (2000) 2 एस. सी. सी. 504; मनदीप सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (2014) 3 एस. सी. सी. 92, जहाँ एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि आरोप तय करने के बाद मुकदमा शुरू होता है।

26 460. अनियमितताएँ जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं। यदि कोई मजिस्ट्रेट सशक्त नहीं है। कानून द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करना, अर्थात्:

(क) धारा 94 के तहत तलाशी वारंट जारी करना; (ख) धारा 155 के तहत पुलिस को किसी अपराध की जांच करने का आदेश देना; (ग) धारा 176 के तहत जांच करना;

(घ) धारा 187 के तहत प्रक्रिया जारी करना, अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति की आशंका के लिए जिसने ऐसी अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बाहर अपराध किया है;

(ई) धारा 190 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेना;

(च) धारा 192 की उप-धारा (2) के तहत मामला बनाना; (छ) धारा 307 के तहत माफी देना;

(ज) किसी मामले को वापस बुलाना और धारा 410 के तहत स्वयं उस पर मुकदमा चलाना; या (i) धारा 458 या धारा 459 के तहत संपत्ति बेचने के लिए, सद्भावना से वह काम करते हुए, उसकी कार्यवाहियों को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जाएगा कि वह इतना सशक्त नहीं है।

मजिस्ट्रेट का भाग जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करता है। दूसरी ओर, धारा 461 2 7 27 में मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाहियों की एक सूची है जो इस संबंध में कानून द्वारा सशक्त नहीं है, जो धारा 461 2 7 27 को दूषित करेगी।

कार्यवाही। धारा 460 का खंड (ई) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने से संबंधित है। धारा 190 (1) का खंड (ए) अपराध

का गठन करने वाले तथ्यों की शिकायत की प्राप्ति को संदर्भित करता है और खंड (बी) एक पुलिस रिपोर्ट को संदर्भित करता है। तथ्यों से। नतीजतन, जहां एक मजिस्ट्रेट जो कानून द्वारा सशक्त नहीं है, धारा 190 (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है, भले ही वह सद्भावना से हो, कार्यवाही को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जाएगा कि मजिस्ट्रेट इतना सशक्त नहीं था। दूसरे शब्दों में, कार्यवाही को दूषित करने के लिए, कुछ

केवल अधिकार की कमी से अधिक स्थापित किया जाना है। धारा 461 का खंड (के) ऐसी स्थिति के लिए विज्ञापन करता है जहां एक मजिस्ट्रेट जो नहीं है

अपने ज्ञान पर। धारा के तहत संज्ञान लेना 190 (1) (ग) एक मजिस्ट्रेट द्वारा जो सशक्त नहीं है, कार्यवाही को अमान्य कर देता है।

27 461. अनियमितताएँ जो कार्यवाही को दूषित करती हैं। यदि कोई मजिस्ट्रेट, जो इस संबंध में कानून द्वारा सशक्त नहीं है, निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है, अर्थात्:

(क) धारा 83 के तहत संपत्ति को कुर्क और बेचता है;

(ख) डाक या तार प्राधिकरण की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज़, पार्सल या अन्य चीज़ के लिए तलाशी वारंट जारी करता है; (ग) शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की मांग करता है; (घ) अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा की मांग करता है; (ङ) अच्छे व्यवहार के लिए कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति का निर्वहन करता है; (च) शांति बनाए रखने के लिए एक बंधन को रद्द करता है;

(के) धारा 190 (1) की उप-धारा (1) के खंड (सी) के तहत एक अपराध का संज्ञान लेता है जो एक अपराधी पर मुकदमा चलाता है; (एम) एक अपराधी पर संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाता है; (एन) किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही पर धारा 325 के तहत सजा सुनाता है; (ओ) एक अपील का फैसला करता है;

(पी) धारा 397 के तहत कार्यवाही के लिए कॉल; या (क्यू) धारा 446 के तहत पारित आदेश को संशोधित करता है, उसकी कार्यवाही शून्य होगी।

प्रदीप एस. वोडियार बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।] 39. धारा 462 गलत तरीके से की जा रही कार्यवाही से संबंधित है।

धारा 463 धारा 14428 या धारा 28129 और धारा 464 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के साथ किसी आरोप को तैयार करने में चूक, या अनुपस्थिति या त्रुटि के प्रभाव के साथ। धारा 465 से संबंधित है -

"मुकदमे से पहले या उसके दौरान शिकायत, समन, वारंट, घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्यवाही" की अनियमितता।

दोषसिद्धि या दोषमुक्त करने का आदेश। सभी प्रावधानों में "खोज, वाक्य या आदेश" शब्दों का उपयोग किया गया है। हालाँकि न्यायिक देरी के प्रमुख कारणों में से एक मुकदमे के शुरू होने से लेकर उसके समापन तक की देरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देरी भी मुख्य रूप से मुकदमे से पहले के चरण में होती है। प्रत्येक अंतर्वर्ती आदेश को चुनौती दी जाती है और मामूली अनियमितताओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तक अपील की जाती है जो मामले की जड़ तक नहीं जाती हैं। सी. आर. पी. सी. के अध्याय XXXV का उद्देश्य केवल मुकदमे के बाद कार्यवाही के समापन में देरी को रोकना नहीं है शुरू या समाप्त किया गया है, लेकिन पूर्व-परीक्षण चरण में देरी पर अंकुश लगाने के लिए भी। इस न्यायालय के कई निर्णयों से यह माना गया है कि अभियुक्त अक्सर कार्यवाही को बढ़ाने और मुकदमे के प्रारंभ या समापन को रोकने के लिए देरी करने की रणनीति का उपयोग करता है। 30 अध्याय XXXV का उद्देश्य त्वरित सुनवाई के संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत को आगे बढ़ाना है। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने संतोष डे बनाम मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए इस पर प्रकाश डाला था। अर्चना गुहा जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी की 3 1:

28 स्वीकारोक्ति और बयानों का अभिलेख 29 अभियुक्तों की जाँच का अभिलेख 30 ए. आर. अंतुले बनाम। आर. आर. नायक, 1988 ए. आई. आर. 1531 31 ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1229 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 15. इस मामले के तथ्य हमें यह कहने के लिए प्रेरित करते हैं कि आज आपराधिक मामलों की सुनवाई में देरी करना कितना आसान हो गया है। एक ऐसा दिमाग वाला आरोपी दशकों तक एक साथ कार्यवाही को रोक सकता है, अगर उसके पास ऐसा करने का साधन है। किसी भी और हर एक अंतर्वर्ती आदेश को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जाती है और हमें यह कहते हुए दुख होता है कि उच्च न्यायालय उनके हथकंडों का शिकार हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय ऐसे सभी प्रयासों का विरोध करेंगे। जब तक कोई गंभीर अवैधता नहीं की जाती है, तब तक उच्च न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें उस अदालत को अनुमति देनी चाहिए जो मामले को संभाल रही है। त्रुटियों को सुधारने के लिए हमेशा एक अपीलीय न्यायालय होता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के पीछे के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। पी. सी. कि किसी प्रक्रियात्मक प्रावधान की कोई भी और प्रत्येक अनियमितता या उल्लंघन किसी उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए एक आधार का गठन नहीं कर सकता है जब तक कि इस तरह की अनियमितता या उल्लंघन ने पक्ष के लिए अपूरणीय पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया है और उस स्तर पर ही इसे ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंतर्वर्ती चरणों में उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के बार-बार हस्तक्षेप उन उद्देश्यों को पूरा करने के बजाय न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति कानून को दूर रखने में सक्षम हो। इसका मतलब यह होगा कि बहुत की विफलता

प्रणाली "।

41. धारा 465 इन चुनौतियों पर भी लागू होगी -

प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर एक संज्ञान आदेश या समन आदेश जैसे अंतर्वर्ती आदेश। यह व्याख्या समर्थित है।

धारा 465 की उप-धारा (2) के तहत, जिसमें कहा गया है कि यह निर्धारित करते समय कि क्या अनियमितता न्याय की विफलता है, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या आपत्ति कार्यवाही में पहले के चरण में उठाई जा सकती थी या नहीं। इसलिए, यह तथ्य कि कानून में यह प्रावधान है कि न्यायालय को इस बात पर विचार करना है कि क्या मुकदमे के चरण का कोई विशिष्ट उल्लेख किए बिना आपत्ति पहले उठाई जा सकती थी, यह इंगित करता है कि प्रावधान में किसी भी स्तर पर उठाई गई चुनौतियों को शामिल किया गया है। द.

उप-धारा (2) के अनुसार न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या आपत्ति जल्द से जल्द उठाई गई थी।

सी. 2 सी. आर. पी. सी. की धारा 465 और न्याय की विफलता

42. रट्टीराम (सुप्रा) ने गंगुला अशोक को प्रतिष्ठित किया था 3 2

(ऊपर) कार्यवाही के चरण के आधार पर क्योंकि मुकदमा नहीं था 32 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गंगुला अशोक प्रदीप एस. वोडेयर बनाम में धारा 465 सीआरपीसी की प्रयोज्यता पर कोई चर्चा नहीं की गई थी।

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बाद में शुरू हुआ लेकिन पूर्व में पूरा हुआ। रत्तिराम (ऊपर) का यह मत नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 मुकदमे से पहले के मामलों पर लागू नहीं होगी। मुकदमे और पूर्व-मुकदमे के मामलों के बीच अंतर केवल धारा 465 की उप-धारा (2) के संदर्भ में किया गया था। चूंकि मुकदमा समाप्त होने के बाद संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई थी, इसलिए आरोपी धारा 465 (2) को देखते हुए न्याय की विफलता साबित नहीं कर सका। हालाँकि, धारा 465 (2) केवल उन कारकों में से एक का प्रावधान करती है जिन पर यह निर्धारित करते समय विचार किया जाएगा कि क्या न्याय की विफलता हुई है। धारा 465 (2) का अर्थ यह नहीं है कि यदि कथित अनियमितता को प्रारंभिक चरण में चुनौती दी जाती है, तो न्याय की विफलता को साबित माना जाता है। हालाँकि ऐसे मामलों में भी, जहाँ मुकदमा शुरू होने से पहले चुनौती दी जाती है, पक्षकार पर 'न्याय की विफलता' साबित करने का बोझ होता है। इसके अलावा, भले ही मुकदमा शुरू होने से पहले चुनौती दी गई हो, फिर भी अदालत को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या चुनौती पहले दी जा सकती थी।

43. यह निर्धारित करने के लिए स्थापित परीक्षण कि क्या धारा 465 के उद्देश्य के लिए न्याय की विफलता हुई है, यह है कि क्या अनियमितता है अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया। 3 3 कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह निर्धारित करते समय कि क्या न्याय की विफलता थी, न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ चुनौती के चरण के संदर्भ में निर्णय ले सकते थे,

आरोपित अपराध की गंभीरता, और कार्यवाही को बढ़ाने का स्पष्ट इरादा। यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या न्याय की विफलता कार्यवाही के समापन में देरी की चिंता और तुच्छ मुकदमेबाजी के खतरे पर अंकुश लगाने के प्रावधान के उद्देश्य पर हावी होगी। 44. यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या धारा 465 के तहत संज्ञान आदेश की अनियमितता को माफ करने से 'न्याय की विफलता' होगी। हमारी सुविचारित राय में, यह निम्नलिखित कारणों से न्याय की विफलता की ओर नहीं ले जाएगा:

(1)

धारा के तहत प्रतिबद्ध न्यायालय की घटती भूमिका

209 सत्र न्यायालय को मामला सौंपते समय नई संहिता। भूराजी (ऊपर) में भी दोनों निर्णय
जैसा कि रतिराम (ऊपर) में बाद के निर्णय ने ध्यान दिया कि 1898 की संहिता के तहत, मजिस्ट्रेट के पास एक व्यापक शक्ति थी

समर्पण के चरण में जिसमें शक्ति शामिल थी

गवाहों की जाँच करना और प्रतिपरीक्षा की अनुमति देना। ऐसी शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के प्रावधानों में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित है। इसके विपरीत, धारा 209 इसे बनाती है।

33 अन्ना रेड्डी संब्विसा रेड्डी बनाम। एपी राज्य, एआईआर 2009 एससी 2661 [2021] 11 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

पुलिस रिपोर्ट या अन्यथा और यह प्रतीत होता है मजिस्ट्रेट कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, मजिस्ट्रेट धारा 207 या धारा 208, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों का पालन करने के बाद मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देगा। द.

जिस परिस्थिति में मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना होता है, वह केवल यह है कि क्या अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। चूँकि अपराध करने वाला मजिस्ट्रेट करता है

इस स्तर पर प्रयोग करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं, इसका प्रयोग न करने से पक्षों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा; धारा 460 और 461 के तहत संज्ञान आदेश की अनियमितता में श्रेणीकरण-धारा 460 और 461 के तहत, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने वाले आदेश को पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर संज्ञान लेने वाले आदेश की तुलना में अधिक दर्जा दिया गया है।

आदेश की अनियमितता पर निर्णय लेने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिकारी या मजिस्ट्रेट की अपनी जानकारी पर। श्रेणीकरण के पीछे का कारण यह है कि पूर्व मामले में, मजिस्ट्रेट के पास अपने निर्णय को आधार बनाने के लिए पुलिस द्वारा की गई जांच के आधार पर सामग्री होती है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जानकारी के आधार पर संज्ञान लेने पर अनुपस्थित हो सकती है। इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया गया था। इसलिए, मामला पूरी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (बी) के तहत आता है जो धारा 460 के तहत, भले ही अनियमित हो, कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा।

एमएमडीआर अधिनियम का उद्देश्य: अपीलार्थियों पर एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप है जिसमें खनिजों का निर्यात और परिवहन शामिल है।

अनुमति दें। एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध पर्यावरण संबंधी अपराध हैं। ये अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करते हैं। ये अपराध पूरे समुदाय के कल्याण को नुकसान पहुँचाते हैं और प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय अपराध भौगोलिक या राज्य सीमा के भीतर सीमित नहीं है। का प्रभाव

पर्यावरणीय अपराध सीमाओं और समय को पार करता है। पर्यावरणीय अपराध में तुरंत पहचाने जाने योग्य मानव पीड़ित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम को पूरी जैव-प्रणाली के लिए गलत नहीं माना जा सकता है, जिसमें मानव

प्राणी एक आंतरिक तत्व हैं, लेकिन एकमात्र नहीं।

डीप एस. वोडियार बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पर्यावरणीय अपराध सार में एक ग्रह अपराध है-यह प्राकृतिक प्रणालियों के हर घटक को प्रभावित करता है जिसके साथ

ग्रह को संपन्न किया गया है। वे हमारी विरासत का गठन करते हैं; एक ऐसी विरासत जो भविष्य के लिए वर्तमान में विश्वास में रखी जाती है। अवैध खनन मूल्यवान वस्तुओं की पारिस्थितिकी प्रणाली को नकारता है।

संसाधन। प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश के वर्तमान और भविष्य के लिए गंभीर परिणाम हैं। अतः एम. एम. डी. आर. अधिनियम का अर्थ इसी परिप्रेक्षय में लगाया जाना चाहिए।

विनाश से संसाधन जो अत्याचारी और अनियमित खनन के कारण होता है। अपराध जो किए गए हैं संसद द्वारा धारा 4 की उप-धारा (1) और (1ए) को लागू करते समय पर्यावरण को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जो बदले में, उन समुदायों के अस्तित्व को प्रभावित करता है जो पर्यावरण पर निर्भर हैं और हर उस प्रजाति के अस्तित्व को प्रभावित करता है जिसे यह पोषण और पोषण प्रदान करता है। इसकी वजह यह है कि

ऐसे अपराधों का समुदाय के जीवन पर और न केवल वर्तमान, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के कल्याण पर प्रभाव, जैसे सिद्धांत

एहतियाती सिद्धांत, सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत और सतत विकास की अवधारणा ने एक निश्चित न्यायशास्त्र की नींव प्राप्त की है। पर्यावरणीय अपराध में, कोई एकल, तत्काल पीड़ित नहीं हो सकता है। अपराध की भविष्यवाणी करने वाला कार्य मानवता के खिलाफ अपराध है। इन अपराधों को वर्तमान में तत्काल नहीं माना जा सकता है,

प्रत्याशित या मात्रात्मक परिणाम लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है कि वे आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करते हैं।

अधिनियम के अधिनियमन के समय इसकी प्रस्तावना ने संकेत दिया कि यह "खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए एक अधिनियम" है। इसे 1999 के अधिनियम 38 द्वारा इस बात पर जोर देने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था कि "अधिनियम के लिए प्रावधान है

खानों और खनिजों का विकास और विनियमन "। द.

प्रस्तावना में संशोधन विधायिका के इरादे का संकेत है कि विकास और विनियमन को साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए, और पर्यावरणीय अपराध के बढ़ते परिमाण को कम करने के लिए, विकास की आवश्यकता [2021] 11 एस. सी. आर. तक होनी चाहिए।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

विनियमित और टिकाऊ होना। इस प्रकार, जब संसद ने विशेष न्यायालयों के गठन के लिए 2015 में धारा 30 बी को शामिल करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया, जिन्हें सभी आवश्यक शक्तियों से सम्मानित सत्र न्यायालय माना जाएगा, विधायी प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रावधान का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उल्लंघन करने वालों को त्वरित प्रक्रिया द्वारा दंडित किया जाए

उस ओर से विधिवत गठित न्यायालय के समक्ष मुकदमा; और मुकदमे की शुरुआत में देरी-पहला

वर्तमान मामलों के समूह में मामलों के पहले समूह में सूचना रिपोर्ट 9 अक्टूबर 2014 को दर्ज की गई थी।

आरोप-पत्र 29 दिसंबर 2015 को प्रस्तुत किया गया था। दिसंबर 2015 और मार्च 2017 के बीच, आरोपी कार्यवाही में भाग लिया। 30 दिसंबर 2015 को,

कुछ अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 17 मार्च 2017 को, आरोपों पर विशेष लोक अभियोजक द्वारा विशेष न्यायाधीश के समक्ष दलीलें संबोधित की गईं। उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत रद्द करने के लिए स्थानांतरित किया गया था। 20 मार्च 2017 उस स्तर पर। महत्वपूर्ण रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, चुनौती का कोई आधार नहीं था

इस निवेदन के आधार पर संबोधित (अब इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया है) कि मजिस्ट्रेट द्वारा एक प्रतिबद्ध आदेश के अभाव में, विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही

अधिकार क्षेत्र के अभाव में पीड़ित। इस न्यायालय के समक्ष पहली बार जो निवेदन किया गया है, कथित रूप से

इस आधार पर कि कानून का एक शुद्ध प्रश्न शामिल है, इस तथ्यात्मक स्थिति को समाप्त नहीं कर सकता है कि

20 मार्च 2017 को रद्द करने की याचिका दायर होने तक 2015 में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद, अभियुक्त ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया और किसी भी समय विशेष न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं जताई। इसलिए, संज्ञान लेने में अनियमितता को चुनौती जल्द से जल्द नहीं दी गई थी।

प्रदीप एस. वोडियार बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

हालाँकि यह मुकदमे के समापन से पहले किया गया था,

दो साल बाद भी चुनौती एक होगी

काफी देरी, जब इसके लिए अवसर थे पहले उठाया गया है।

सी. 3 अपराध का संज्ञान, न कि अपराधी का 45. यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि परिकल्पना के अनुसार संज्ञान

सी. आर. पी. सी. की धारा 190 अपराध की है न कि अपराधी की। धारा 190,191,192 और 19334 के प्रावधानों में "किसी भी अपराध का संज्ञान" अभिव्यक्ति का लगातार उपयोग किया जाता है।

46. पुरानी सी. आर. पी. सी. संहिता (1898 की) की धारा 193 में कहा गया है कि

सत्र आयोग किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा 'अभियुक्त को अपराध के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया हो।' हालाँकि, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 193 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा 'मामला किए जाने' के बाद किसी अपराध का संज्ञान लिया जाएगा। पुरानी और नई संहिता के प्रावधानों की तुलना नीचे सारणीबद्ध की गई है:

पुराना कोड (1898)	नया कोड (1973)
193.न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान	193. न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान
सत्र। अन्यथा स्पष्ट रूप से छोड़कर	सत्र। - अन्यथा स्पष्ट रूप से छोड़कर
इस संहिता या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किया गया	इस संहिता या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किया गया
उस समय के लिए, कोई न्यायालय नहीं	उस समय के लिए, कोई न्यायालय नहीं
सत्र किसी भी बात का संज्ञान लेगा	सत्र किसी भी बात का संज्ञान लेगा
मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में अपराध	मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में अपराध
जब तक कि मामला इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया है	जब तक कि आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया है
	इस संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा।
इसमें विधिवत सशक्त मजिस्ट्रेट द्वारा	उस तरफ से।
	(जोर दिया गया)

47. किशुन सिंह बनाम। बिहार राज्य 3 5, इससे पहले का प्रश्न

न्यायालय यह था कि क्या सत्र न्यायालय जिस पर कोई मामला चलाया गया है

मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध, सबूत दर्ज किए बिना, धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके पुलिस रिपोर्ट में नामित व्यक्ति को तलब कर सकता है। दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जब मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 209 के तहत सत्र न्यायालय को कोई मामला सौंपा जाता है 34 " वास्तव में, "किसी भी अपराध का संज्ञान" अभिव्यक्ति का उपयोग धारा 195,196,197,198,198ए, 198बी में भी किया गया है। 199. सी. आर. पी. सी. का अध्याय 15 जो मजिस्ट्रेटों की शिकायतों को नियंत्रित करता है, इस सिद्धांत पर भी जोर देता है कि संज्ञान एक अपराध है। जैसा कि हमने पहले देखा है, उसी सिद्धांत पर अध्याय 16 में जोर दिया गया है जिसमें धारा 204 (1) मजिस्ट्रेट को "अपराध का संज्ञान लेते हुए" बताती है। 35 (1993) 2 एससीसी 16 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस आधार पर कि यह विशेष रूप से उसके द्वारा विचारण योग्य है, सत्र न्यायालय के पास अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति होगी। 3 6 यह इस प्रकार आयोजित किया गया था कि चूँकि अपराध का संज्ञान लिया जाता है न कि अभियुक्त का, यदि कोई सामग्री अपराध में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का सुझाव देती है, तो

सत्र न्यायालय ऐसे अन्य व्यक्तियों को तलब कर सकता है। न्यायालय ने 1973 की संहिता की धारा 193 और संविधान की संहिता के बीच तुलना की।

1898 , और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 को पढ़ने पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध और संज्ञान दोनों ही अपराध के हैं न कि अभियुक्त/अपराधी के। 37 न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने निम्नलिखित टिप्पणियों में कानून की स्थिति का सारांश दिया:

" 7. [.....] संहिता की धारा 190 विभिन्न तरीकों को निर्धारित करती है

जिसे मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है, अर्थात

कहें, किसी अपराध के होने का खुलासा करने वाले आरोप पर ध्यान दें

अपराधी को लाने के लिए कानून को गति देने की दृष्टि से

किताब। इस प्रावधान के तहत तीन तरीकों से संज्ञान लिया जा सकता है।

कथित अपराध के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित

प्रतिबद्ध हो गए हैं। उद्देश्य एक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है

यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो सीधे मजिस्ट्रेट से संपर्क करें या उसके पास यह मानने का कारण है कि उसके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पुलिस। भले ही 'संज्ञान लें' अभिव्यक्ति नहीं है

कि जब मजिस्ट्रेट आरोपों का संज्ञान लेता है और शिकायत या पुलिस में लगाए गए आरोपों पर अपना दिमाग लगाता है

रिपोर्ट या जानकारी और संतुष्ट होने पर कि आरोप, यदि साबित, एक अपराध का गठन करेगा न्यायिक शुरू करने का निर्णय लेता है

कथित अपराधी के खिलाफ कार्यवाही जो उसने की है

अपराध का संज्ञान। इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है

कि संज्ञान अपराध के संबंध में है न कि अपराधी के संबंध में।

[.....] यह तुरंत ध्यान दिया जा सकता है कि पुराने प्रावधान के तहत एक अदालत

सत्र न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सका

36 यह भी देखें, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम। वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, (2008) 2 एससीसी 492 (499 पर, पैराग्राफ 19 और 20); फखरुद्दीन अहमद बनाम। उत्तरांचल राज्य, (2008) 17 एस. सी. सी. 157 (163 पर, पैराग्राफ 17)

37 उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, इस न्यायालय ने किशन सिंह मामले में एस. के. लुत्फर रहमान बनाम पंजाब उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले की पुष्टि की। बताइए: 1985 पीएलजेआर 640: 1985 सी. आर. आई. एल. जे. 1238 (पैट एच. सी.) (एफ. बी.)

प्रदीप एस. वोडियार बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मूल अधिकारिता जब तक कि अभियुक्त इसके लिए प्रतिबद्ध न हो

जबकि पुनर्निर्माण खंड के तहत जैसा कि यह वर्तमान में खड़ा है

अभिव्यक्ति अभियुक्त के स्थान पर मामले के शब्दों को रखा गया है। जैसा कि पहले बताया गया है, धारा 190 के तहत अपराध के लिए संज्ञान लिया जाना चाहिए न कि अपराधी के लिए; इसलिए धारा

193 के तहत भी अब जोर मामले को अंजाम देने पर है और अपराधी पर नहीं। इसलिए भी धारा 209 मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने की बात करती है। इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 193 की भाषा को ध्यान में रखते हुए पुरानी संहिता के तहत जब तक कि कोई आरोपी सत्र न्यायालय के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था, तब तक उक्त न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता था; अब धारा 193 के तहत जैसा कि वर्तमान में मामला होने के बाद है, प्रतिबंध गायब हो जाता है।

" 16 ..... इस प्रकार, धारा 193 के एक सादे पाठ पर, जैसा कि वर्तमान में है, जब संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को मामला सौंपा जाता है, तो मूल न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सत्र न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

अधिकार क्षेत्र हटा लिया जाता है। मामला करने वाले मजिस्ट्रेट पर

सत्र न्यायालय की धारा 209 के तहत धारा 193 का प्रतिबंध

उठा लिया जाता है जिससे सत्र न्यायालय पूरा हो जाता है और

अपराध का संज्ञान लेने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय की निरंकुश अधिकारिता जिसमें उस व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्मन देना शामिल होगा जिसकी अपराध करने में संलिप्तता है।

अपराध प्रथम दृष्टया उपलब्ध सामग्री से एकत्र किया जा सकता है

रिकॉर्ड करें "।

48. दूसरे शब्दों में, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए समर्पण पर, सत्रों को अपराध का गठन करने वाले पूरे अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है। इस प्रकार सत्र न्यायालय को किसी भी व्यक्ति अभियुक्त को समन करने का पूरा अधिकार क्षेत्र दिया जाता है।. उपरोक्त सिद्धांतों को डब्ल्यू. बी. वी. के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में दोहराया गया था। मोहम्मद. खालिद 3 8. न्यायमूर्ति एस. मोहन की ओर से बोलते हुए

टी ने देखा:

" 43 . [.....] संहिता की धारा 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों के संज्ञान की बात करती है। इस अभिव्यक्ति को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। अपने व्यापक और शाब्दिक अर्थ में, इसका अर्थ है किसी अपराध पर ध्यान देना।

इसमें न्यायिक कार्यवाही शुरू करने का इरादा शामिल होगा। उस अपराध के संबंध में अपराधी के खिलाफ या यह देखने के लिए कदम उठाना कि क्या न्यायिक कार्यवाही शुरू करने या अन्य उद्देश्यों के लिए कोई आधार है। 'संज्ञान' शब्द उस बिंदु को इंगित करता है जब कोई मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश पहली बार न्यायिक नोटिस लेता है।

अपराध। यह कार्यवाही शुरू करने से पूरी तरह से अलग बात है; बल्कि यह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही शुरू करने की पूर्व शर्त है। संज्ञान मामलों का लिया जाता है न कि व्यक्तियों का।

49. धरम पाल (उपरोक्त) मामले में, एक संविधान पीठ यह निर्णय ले रही थी कि क्या सत्र न्यायालय के पास धारा 193 के तहत शक्ति है

सी. आर. पी. सी. अपराध का संज्ञान लेगी और फिर अन्य व्यक्तियों को तलब करेगी जिनका पुलिस रिपोर्ट में आरोपी के रूप में उल्लेख नहीं है। किशन सिंह (ऊपर) और रंजीत सिंह बनाम मामले में परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए इस मुद्दे को पांच-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। पंजाब राज्य 3 9. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जबकि किशुन सिंह (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सत्र न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के तहत ऐसी शक्ति अभिनिर्धारित की थी, रंजीत सिंह (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समर्पण के चरण से लेकर सत्र न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 230 में इंगित चरण तक पहुंचने तक, न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में आरोपित नहीं कर सकता था। मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए किशन सिंह (उपरोक्त) में इस विचार की पुष्टि की कि यह आधार बनाते हुए कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसके पास धारा 173 (2) के तहत पुलिस द्वारा दायर रिपोर्ट से असहमत होने और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। तथापि, यदि रंजीत सिंह (उपर्युक्त) की व्याख्या का पालन किया जाता है, तो यह एक विसंगति का कारण बनेगा जहां धारा 319 के चरण तक पहुंचने तक सत्र न्यायालय के पास यह शक्ति नहीं होगी, जो अन्यथा मजिस्ट्रेट के पास होती। उस संदर्भ में, संविधान पीठ ने कहा:

" 35. हमारे विचार में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत उनके समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय को मामला सौंपते समय मजिस्ट्रेट की भूमिका है। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से असहमत है, तो उसके पास दो विकल्प हैं। वह एक विरोध याचिका के आधार पर कार्य कर सकता है जो दायर की जा सकती है, या वह पुलिस रिपोर्ट से असहमत होते हुए प्रक्रिया जारी कर सकता है और आरोपी को तलब कर सकता है। इसके बाद, यदि यह संतुष्ट होने पर कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए मामला बनाया गया है,

39 (1998) 7 एस. सी. सी. 149 प्रदीप एस. वोडेयर बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

रिपोर्ट के कॉलम 2 में नामित व्यक्ति, उक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ें या यदि वह संतुष्ट थे कि कोई मामला बनाया गया था

जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, वह मामले में आगे बढ़ने के लिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप सकता है।

50. आर एन अग्रवाल बनाम। विशेष न्यायाधीश आर. सी. बंसल ने आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 420,468 और 471 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश ने हालांकि अभियोजन पक्ष के गवाहों को तलब किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित समन आदेश को रद्द कर दिया। यह न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया कि धारा 193 और 209 को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायाधीश ने अपराध का संज्ञान लिया और इसलिए उस स्तर पर उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले में अन्य अभियुक्तों को आरोपित करने की शक्ति थी।

51. यह किशुन सिंह (उपरोक्त) में चर्चा से स्पष्ट है और

धरम पाल (ऊपर) ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपराध का संज्ञान लिया जाता है न कि अपराधी का। इस प्रकार, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायाधीश के पास अभियुक्त का संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है। का संज्ञान लेने का उद्देश्य

अभियुक्त के बजाय अपराध इसलिए है क्योंकि अपराध बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ किया जाता है। इसलिए, राज्य की शिकायत अपराध करने के खिलाफ है न कि अपराधी के खिलाफ। एक अभिनेता के रूप में अपराधी को दंड प्रदान करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया में लक्षित किया जाता है ताकि विभिन्न तरीकों से अपराध को रोका या कम किया जा सके जैसे - सुधार, प्रतिशोध और प्रतिरोध। इस प्रकार अपराध के खिलाफ संज्ञान लिया जाता है न कि आरोपी के खिलाफ क्योंकि विधायी इरादा अपराध को रोकने के लिए होता है।

अपराध। अभियुक्त अपराध को रोकने और संबोधित करने के अंत तक पहुँचने का एक साधन है। 52. हमारे समक्ष तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, विशेष न्यायाधीश ने 30 दिसंबर 2015 के एक आदेश द्वारा पहले की सभी प्रासंगिक सामग्री का उल्लेख किया था।

उसे, प्राथमिकी और गवाह के बयानों सहित, संज्ञान लेने से पहले। सवाल यह उठता है कि क्या केवल इसलिए कि संज्ञान आदेश में उल्लेख किया गया है कि 'अभियुक्त' के खिलाफ संज्ञान लिया गया है, पूरी कार्यवाही को दूषित कर दिया जाएगा। अनजाने में संज्ञान लेने वाले आदेश में उल्लेख किया गया है कि विशेष न्यायाधीश ने इसके खिलाफ संज्ञान लिया है

अपराध के बजाय अभियुक्त। यह पूरी कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा, विशेष रूप से जहां आयोग के बारे में सामग्री जानकारी हो। अपराध के बारे में विशेष न्यायाधीश के संज्ञान में लाया गया था और उस पर विचार किया गया था।

53. यह साबित करने के लिए कि अनियमितता कार्यवाही को दूषित करती है, अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के तहत निर्धारित 'न्याय की विफलता' साबित करनी चाहिए। पिछले खंड में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए

संज्ञान आदेश के लिए धारा 465 सी. आर. पी. सी. (और न्याय की विफलता साबित करने में असमर्थता) की प्रयोज्यता, अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी। इसके अलावा, यह निर्धारित करने के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि अपराध का संज्ञान लिया जाना चाहिए न कि अपराधी का, संज्ञान आदेश के रूप में केवल परिवर्तन किसी भी अन्याय को पूरा करने के लिए आदेश के प्रभाव को नहीं बदलेगा।

ग. 4 के अधीन अपराधों के विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान

आईपीसी

54. अपीलार्थी ने यह तर्क दिया था कि भले ही विशेष न्यायाधीश के पास अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति हो, वह केवल

एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है और आईपीसी के प्रावधानों के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकते हैं (और मुकदमा नहीं चला सकते हैं)। इस उद्देश्य के लिए, अपीलार्थी के वकील ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 बी (1) का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि राज्य

सरकार एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 4 (1) या धारा 4 (1 ए) के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई प्रदान करने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है। धारा 30 ख (1) इस प्रकार है:

" 30 बी. विशेष न्यायालयों का गठन। (1) राज्य सरकार, अपराधों की त्वरित सुनवाई प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए - धारा 4 की उप-धारा (1) या उप-धारा (1 ए) के प्रावधानों का उल्लंघन, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जितने आवश्यक हों उतने विशेष न्यायालयों का गठन करता है।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 (1) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी लाइसेंस या परमिट के कोई भी टोही, पूर्वेक्षण या खनन कार्य नहीं करेगा। धारा 4 (1ए) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन प्रावधानों के अनुसार सामग्री का परिवहन या भंडारण नहीं कर सकता है।

यह अधिनियम। अधिनियम की धारा 4 (1) और (1ए) इस प्रकार है:

" 4. अनुज्ञप्ति के तहत होने वाली संभावना या खनन कार्य या

लीज पर दिया। (1) [कोई भी व्यक्ति कोई जासूसी नहीं करेगा, PRADEEP S. WODEYAR v.

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

टोही के नियमों और शर्तों के तहत और उनके अनुसार को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में संभावना या खनन संचालन अनुज्ञप्ति या प्रत्याशित अनुज्ञप्ति या, जैसा भी मामला हो,

इस अधिनियम और बनाए गए नियमों के तहत दिया गया खनन पट्टा

संभावित लाइसेंस या खनन पट्टे के नियम और शर्तें इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले दिया गया जो लागू है

इस तरह की शुरुआत में:

किसी भी राज्य सरकार का खनन और भूविज्ञान (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए), और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। , ए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) के 7 के अर्थ के भीतर सरकारी कंपनी और ऐसी कोई भी कंपनी।

ऐसी इकाई जिसे केंद्र द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया जा सकता है सरकार]:]

[बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई बात किसी भी खनन पट्टे (चाहे उसे खनन पट्टा खनन रियायत कहा जाए या किसी अन्य नाम से) पर लागू नहीं होगी, जो इस अधिनियम से तुरंत पहले लागू था। केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन में इस अधिनियम का प्रारंभ

और दीव।] [(1ए) कोई भी व्यक्ति परिवहन या भंडारण या परिवहन नहीं करेगा।

या के अनुसार के अलावा किसी भी खनिज को संग्रहीत किया

इस अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम।] "

55. अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि विशेष न्यायालय

किसी कानून के तहत आरोपित व्यक्ति आई. पी. सी. (या कानून के तहत अपराधों के अलावा कोई भी अपराध) के तहत अपराधों की सुनवाई केवल तभी कर सकता है जब स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो। को।इस तर्क के आधार पर, पीसी अधिनियम की धारा 4 (3), अधिनियम की धारा 14 (1) और यौन से बच्चों के संरक्षण की धारा 28 (2)

सी. ई. एस. अधिनियम 201241 का उल्लेख किया गया था। तीनों प्रावधान स्पष्ट रूप से

इसके अलावा अन्य अपराधों पर मुकदमा चलाने की शक्ति के साथ विशेष न्यायालय

सीएसओ

अधिनियम "[2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम में निर्दिष्ट अपराध। पी. सी. अधिनियम की धारा 4 (3) इस प्रकार है:

" (3) किसी भी मामले की सुनवाई करते समय, एक विशेष न्यायाधीश किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। धारा 3 में
विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न अपराध, जिसके साथ

अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2) के अधीन

1974 का), उसी मुकदमे में आरोपित किया जाए।

(जोर दिया गया)

अपराध। (1) किसी भी अपराध की सुनवाई करते समय, एक विशेष न्यायालय कर सकता है किसी अन्य अपराध का भी प्रयास करें जिसके तहत अभियुक्त कर सकता है

संहिता को उसी मुकदमे में आरोपित किया जाए यदि अपराध है

(2) यदि, इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के मुकदमे के दौरान, यह है पता चला कि अभियुक्त व्यक्ति ने कोई अन्य अपराध किया है

इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत, विशेष न्यायालय

ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराएँ और कोई भी सजा दें।

या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत दंड या, जैसा भी मामला हो सकता है इस तरह के अन्य कानून के तहत "।

(जोर दिया गया)

पॉक्सो अधिनियम की धारा 28 (2) निम्नलिखित प्रावधान करती है:

" (2) इस अधिनियम के तहत एक अपराध की सुनवाई करते समय, एक विशेष न्यायालय

में निर्दिष्ट अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध का भी प्रयास करेगा।

उप-धारा (1)], जिसके साथ अभियुक्त संहिता के तहत

दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया जाए।

(जोर दिया गया)

56. हमारे समक्ष मामले में, विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लिया और

अपीलार्थियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 409,420; एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 4 (1), 4 (1 ए) के साथ पठित धारा 21 और 23; और कर्नाटक वन नियम, 1969 के नियम 144 के साथ पठित नियम 165 के तहत अपराधों के लिए समन जारी किए गए। पहली अनुसूची के अनुसार

सी. आर. पी. सी., धारा 409 और 420 के तहत अपराध प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 में कहा गया है कि यदि

दिखाई देता है

मजिस्ट्रेट को कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, फिर वह मामले को सत्र न्यायालय को सौंपेगा। एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 2 (एच. सी.) में कहा गया है कि पी. आर. ए. डी. ई. पी. एस. डब्ल्यू. ओ. डी. ई. ए. आर. बनाम के तहत गठित एक विशेष न्यायालय।

अधिनियम की धारा 30 बी (1) को सत्र न्यायालय माना जाता है। एमएमडीआर अधिनियम के तहत नामित एक विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय है।

जो विशेष रूप से अधिनियम के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने की शक्ति के साथ निहित है। जबकि आई. पी. सी. की धारा 409 और 420 के तहत अपराधों का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 42 द्वारा परीक्षण किया जा सकता है, मुद्दा यह है कि क्या आई. पी. सी. के तहत अपराधों का मुकदमा विशेष अदालत द्वारा एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराधों के साथ संयुक्त रूप से किया जा सकता है।

C. 4.1 संयुक्त परीक्षण और स्पष्ट निरसन

57. इस मोड़ पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 पर ध्यान देना प्रासंगिक है। धारा 220 में ऐसी स्थितियों की परिकल्पना की गई है जब किसी व्यक्ति पर कई मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। एक मुकदमे में अपराध जो इस प्रकार है:

" 220. एक से अधिक अपराधों के लिए मुकदमा। - (1) यदि, एक ही लेन-देन के रूप में एक साथ जुड़े कार्यों की एक श्रृंखला में, एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जाते हैं, तो वह हो सकता है

इस तरह के प्रत्येक अपराध के लिए आरोपित किया गया और एक मुकदमे में मुकदमा चलाया गया।

(2) जब किसी व्यक्ति पर एक या अधिक आपराधिक अपराधों का आरोप लगाया जाता है

विश्वास का उल्लंघन या संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग धारा 212 की उप-धारा (2) या धारा 219 की उप-धारा (1) में उपबंध किया गया है कि उस अपराध या उन अपराधों को करने में सुविधा प्रदान करने या छिपाने के उद्देश्य से, खातों को गलत साबित करने के एक या अधिक अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और उस पर एक ही मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है।

(3) यदि कथित कार्य उस समय लागू किसी कानून की दो या दो से अधिक अलग-अलग परिभाषाओं के अंतर्गत आने वाला अपराध है।

जिन अपराधों को परिभाषित या दंडित किया जाता है, उनमें से प्रत्येक के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया जा सकता है और एक मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे अपराध।

(4) यदि कई कार्य, जिनमें से एक या एक से अधिक अपने आप में एक अपराध का गठन करते हैं, एक अलग अपराध का गठन करते हैं, तो उन पर आरोपित व्यक्ति को आरोपित किया जा सकता है। ऐसे कृत्यों द्वारा गठित अपराध के लिए

जब संयुक्त किया जाता है और किसी एक द्वारा गठित किसी अपराध के लिए एक ही मुकदमे में मुकदमा चलाया जाता है, या

अधिक, इस तरह के कृत्यों से।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी धारा 71 को प्रभावित नहीं करेगा।

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) "।

42 " जे. एम.

एफ. सी. "[2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. आई. पी. सी. की धारा 409 आपराधिक उल्लंघन के अपराध से संबंधित है।

लोक सेवक, बैंकर या एजेंट द्वारा न्यास, जबकि आई. पी. सी. की धारा 420 संबंधित है। धोखाधड़ी के साथ। चूँकि ये दोनों अपराध एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराधों के समान लेनदेन के दौरान किए गए हैं, इसलिए स्थिति पूरी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 की उप-धारा (1) द्वारा कवर की गई है। अब यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या धारा 220 सी. आर. पी. सी. को एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू किया जा सकता है।

59. धारा 4 (1) सी. आर. पी. सी. में कहा गया है कि आई. पी. सी. के तहत सभी अपराध

सी. आर. पी. सी. में निहित प्रावधानों के अनुसार जांच और मुकदमा चलाया जाए। धारा 4 (2) में कहा गया है कि किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच और मुकदमा उन्हीं प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जो किसी भी अन्य अधिनियम के अधीन होगा जो जांच और मुकदमे के तरीके को नियंत्रित करता है। धारा 5 में कहा गया है कि संहिता में कुछ भी किसी विशेष कानून को प्रभावित नहीं करेगा जो शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 30 सी में कहा गया है कि जब तक अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक सी. आर. पी. सी. विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होगी। धारा 30 सी इस प्रकार है:

जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किया गया है, दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) कार्यवाही पर लागू होगी।

विशेष न्यायालय के समक्ष और प्रावधानों के उद्देश्य के लिए

इस अधिनियम के अनुसार, विशेष न्यायालय को एक न्यायालय माना जाएगा - सत्र और सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और

विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन करने वाला व्यक्ति होगा

लोक अभियोजक माना जाता है "।

(जोर दिया गया)

60. इसलिए, सी. आर. पी. सी. की धारा 4 और 5 के संयुक्त अध्ययन पर

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 सी के साथ, यह स्पष्ट है कि संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होगी जब तक कि एमएमडीआर अधिनियम कुछ भी प्रदान नहीं करता है।

इसके विपरीत। इन प्रावधानों में स्पष्ट निरसन का सिद्धांत शामिल है-यानी, जब तक कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा सी. आर. पी. सी. के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक सी. आर. पी. सी. के तहत निर्धारित प्रक्रिया विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होगी। पी. सी. अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम और एन. आई. ए. अधिनियम के प्रावधान जो स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि विशेष न्यायालय अन्य अपराधों के साथ क़ानून के तहत अपराधों का मुकदमा चला सकता है।

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

केवल स्पष्टीकरणात्मक है। यह तय किया गया कानून है कि किसी प्रावधान की प्रासंगिक व्याख्या करते समय, अन्य कानूनों के संदर्भ में जो समान सामग्री हैं, बनाया गया। 43 43 तथापि, चूंकि संयुक्त विचारण पर समान क़ानून के प्रावधान केवल स्पष्टीकरणात्मक हैं, इसलिए बाहरी सहायता का संदर्भ अपीलार्थी के तर्क का कोई समर्थन नहीं करता है।

61. अब यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्याः

एमएमडीआर अधिनियम में एक स्पष्ट प्रावधान जो प्रदान करता है कि

((i)

धारा 220 सीआरपीसी लागू नहीं होगी; और

((ख)

आवश्यक निहितार्थ धारा के अनुप्रयोग को बाहर करता है 220 सीआरपीसी।

62. चूँकि कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो धारा 220 सी. आर. पी. सी. के अनुप्रयोग को बाहर करता है, इसलिए इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या एम. एम. डी. आर. अधिनियम द्वारा

आवश्यक निहितार्थ ने धारा 220 सी. आर. पी. सी. के अनुप्रयोग को बाहर कर दिया। में।

इस संदर्भ में, यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 30 बी, एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराधों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करते समय, आवश्यक निहितार्थ से धारा 220 सी. आर. पी. सी. के आवेदन को बाहर करती है।

ग. 4.2 संयुक्त परीक्षण और निहित निरसन

63. निर्माण का सामान्य नियम यह है कि निहितार्थ द्वारा निरसन के खिलाफ एक धारणा है क्योंकि विधायिका को पूरी जानकारी है।

किसी विधि को अधिनियमित करते समय विषय वस्तु पर विद्यमान विधि का। जब बाद के क़ानून में किसी निरसन प्रावधान का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि विधायिका का इरादा प्रावधान को निरस्त करना नहीं था। यह साबित करने का भार कि बाद के अधिनियम ने पहले के अधिनियम के प्रावधान को अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया है, तर्क देने वाले पक्ष पर है। निहित निरसन के खिलाफ इस धारणा का खंडन किया जाता है यदि बाद के अधिनियम के प्रावधान (ओं) पहले के क़ानून के प्रावधान (ओं) के साथ इतने असंगत और प्रतिकूल हैं कि दोनों प्रावधान 'एक साथ खड़े' नहीं हो सकते हैं। 44 इसलिए, निहित निरसन के निर्माण के लिए आवेदन किया जाने वाला परीक्षण इस प्रकार है: क्या बाद का क़ानून (या बाद के क़ानून में प्रावधान) असंगत है और

43 हर्षद मेहता बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2010) 8 एस. सी. सी. 257 44 हर्षद मेहता (संख्या 40); न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत (14 वां संस्करण। लेक्सिसनेक्सिस 2016) 737-738 [2021] 11 एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती कानून (या पूर्ववर्ती कानून में प्रावधान) के प्रतिकूल

ताकि दोनों कानून (या प्रावधान) एक साथ खड़े न हो सकें। 45 जब इस मामले के संदर्भ में परीक्षण लागू किया जाता है तो यह है कि क्या एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 30 बी असंगत है और धारा 220 सी. आर. पी. सी. के विपरीत है कि दोनों प्रावधान साथ-साथ नहीं चल सकते हैं।

64. इस न्यायालय ने नगर परिषद, पलाई बनाम में कहा है। टी. जे. जोसेफ 46

इंगित किया कि परीक्षण के तहत प्रतिकृति के निर्धारण के लिए आवेदन किया गया था

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 निहित निरसन के संदर्भ में भी प्रतिकूलता निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता है। न्यायमूर्ति मुधोलकर

तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए, दीप चंद बनाम में निर्धारित परीक्षण का पालन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य 47:

" 10. [.....] ((i) क्या दोनों के बीच सीधा संघर्ष है।

प्रावधान;

((ii) क्या विधायिका का इरादा एक संपूर्ण प्रावधान करना था।

विषय के संबंध में कोड-पहले के कानून को प्रतिस्थापित करने वाला मामला;

(iii) क्या दोनों कानून एक ही क्षेत्र में हैं।

65. हर्षद मेहता बनाम के निर्णय में। महाराष्ट्र राज्य 48

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 और 307 के तहत माफी देने की शक्ति है। इसलिए, मूल रूप से सवाल यह था कि क्या सी. आर. पी. सी. की धाराएं विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही पर लागू होती हैं।

विशेष न्यायालय अधिनियम 1992 के तहत गठित न्यायालय। विशेष न्यायालय अधिनियम 1992 की धारा 9 (2) में कहा गया है कि सीआरपीसी के प्रावधान विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे, जब तक कि विशेष न्यायालय अधिनियम 1992 इसके विपरीत कुछ भी प्रदान नहीं करता है। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था (या

आवश्यक निहितार्थ द्वारा निष्कर्ष जो किया जा सकता है) को छोड़कर

48 (2010) 8 एस. सी. सी. 257 49 सी. आर. पी. सी. की धारा 376 और 307 अदालत द्वारा अपराध की परिस्थितियों का पूर्ण और पूर्ण प्रकटीकरण करने की शर्त पर एक साथी को माफी देने की प्रवृत्ति से संबंधित है।

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए सी. आर. पी. सी. की धारा306 और 307 की प्रयोज्यता। अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि इसी तरह के पहले के अधिनियमों ने अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय को स्पष्ट रूप से माफी देने की शक्ति प्रदान की है।

और जब विधायिका ने जानबूझकर प्रावधान को शामिल करने को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यह होगा कि शक्ति प्रदान करने का इरादा नहीं था। वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय में शामिल हैं -

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जबकि प्रावधान के उद्देश्य के लिए धारा 307 केवल मजिस्ट्रेटों की श्रेणियों की गणना करती है। बेंच यह मत व्यक्त किया गया कि बाद के विशिष्ट क़ानून में एक स्पष्ट प्रावधान केवल तभी किया जाना चाहिए जब व्यापक शक्तियाँ या कोई शक्तियाँ नहीं दी जानी चाहिए:

संहिता द्वारा अनुध्यात एक प्रावधान प्रदान करने का इरादा है इसके लिए प्रयास करने होंगे। यह वहाँ से नहीं आता है।

कि एक पूरी तरह से अलग क़ानून में, यदि कोई विशेष प्रावधान नहीं है

किया गया, एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जहां भी

संहिता के तहत शक्तियों और व्यापक शक्तियों का इरादा नहीं था

विशेष रूप से, चूक का प्रभाव यह होगा कि विशेष न्यायालय के पास उतनी शक्तियाँ भी नहीं होंगी जितनी प्रयोग की जाती हैं।

संहिता के तहत सामान्य आपराधिक अदालतों द्वारा "।

(जोर दिया गया)

अपीलार्थी के इस तर्क को संबोधित करते हुए कि धारा 307 का उपयोग करता है

'मजिस्ट्रेट' शब्द, जबकि विशेष न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि क़ानून और संहिता का सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकाला जाना चाहिए। इस तर्क पर कि अन्य कानूनों में क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्रदान करने वाला एक स्पष्ट प्रावधान है, अदालत ने कहा कि अन्य कानून व्याख्या की एक बाहरी सहायता हैं और केवल तभी भरोसा किया जा सकता है जब यह दिखाया जाए कि दोनों अधिनियमों की योजना समान है। इस संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

क्षमा को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से अस्वीकार नहीं किया गया है। जैसा कि पहले ए. आर. अंतुले के मामले में निर्णय के बाद कहा गया था [(1984)

शक्ति प्रदान करने वाले अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए आवश्यक विशेष न्यायालय पर मुकदमे या पूर्व-मुकदमे के चरण में माफी देने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष न्यायालय मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार का एक न्यायालय है और उसके पास संहिता के तहत ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां हैं, जिनमें संहिता की धाराओं की धाराओं की धाराओं

प्रावधानों की व्याख्या करें। इस प्रकार इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 30 बी और सी. आर. पी. सी. की धारा 220 का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जा सकता है।

67. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को आई. पी. सी. की धारा 409 और 420 के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। दूसरी ओर, सत्र न्यायाधीश को एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। यदि एम. एम. डी. आर. अधिनियम और आई. पी. सी. के तहत अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वारा एक साथ की जाती है, तो कोई विसंगति पैदा नहीं होती है, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें पदानुक्रम में निचले स्थान पर रखे गए न्यायाधीश को कृत्रिम रूप से एम. एम. डी. आर. अधिनियम दोनों के तहत अपराधों की सुनवाई करने की शक्ति प्रदान की गई हो।

और कोड। इसके अतिरिक्त, यदि अपराधों पर अलग-अलग PRADEEP S. WODEYAR v. द्वारा अलग से मुकदमा चलाया जाता है।

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यद्यपि वे एक ही लेन-देन से उत्पन्न होते हैं, कार्यवाही की एक बहुलता और न्यायिक समय की बर्बादी होगी, और इसके परिणामस्वरूप विरोधाभासी निर्णय हो सकते हैं। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक ऐसा निर्माण जो कठिनाई, असुविधा, अन्याय, बेतुकेपन और विसंगति की अनुमति देता है, से बचा जाना चाहिए। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30बी और सीआरपीसी की धारा 220 का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जा सकता है और इस तरह का निर्माण न्याय को आगे बढ़ाता है। इसलिए, धारा 30बी को विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में धारा 220 सी. आर. पी. सी. के आवेदन को निहित रूप से निरस्त करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

सी. 5 संज्ञान क्रम और मन का गैर-अनुप्रयोग

68. अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया है कि संज्ञान लेने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश ने पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया है

उसके सामने रखी गई सामग्री पर मन का प्रयोग। इस तर्क की पुष्टि करने के लिए, अपीलार्थी ने पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम के निर्णयों पर भरोसा किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट 5 0, फखरुद्दीन अहमद बनाम। उत्तरांचल राज्य 5 1 महमूद उल रहमान बनाम। खजीर मोहम्मद टुंडा 3 2 52, सुनील भारती मित्तल बनाम। सी. बी. आई. 53 और रवींद्रनाथ बाजपेयी बनाम। बैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र Ltd.54। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने न्यायाधीश द्वारा मन के प्रयोग पर अंतर किया है

एक ओर पुलिस रिपोर्ट और दूसरी ओर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने के उद्देश्य से, और यह कि बाद के मामले में दिमाग के प्रदर्शन योग्य अनुप्रयोग की आवश्यकता अधिक है। इस उद्देश्य के लिए, वकील ने इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया। भूषण कुमार बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 55 और गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनाफत्ता 56।

69. पेप्सी फूड्स लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय आया।

50 (1998) 5 एससीसी 749 51 (2008) 17 एससीसी 157 52 (2015) 12 एससीसी 420 53 (2015) 4 एससीसी 609 54 आपराधिक अपील सं। 1047-1048 / 2021 55 (2012) 5 एस. सी. सी. 424

56 (2019) 20 एससीसी 539 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलकर्ताओं ने समन आदेश और कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की। यह इस पृष्ठभूमि में था कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV में परिकल्पित प्रक्रिया को अधिक विशेष रूप से धारा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 200 , न्यायमूर्ति डी. पी. वाधवा ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

" 12. [.....] अदालत जिन तरीकों से किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है, उनमें से एक तथ्यों वाली शिकायत दर्ज करना है जो इस तरह के अपराध का गठन करता है। शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, की शपथ लेकर जांच करेगा और ऐसी जांच के सार को लिखित कर दिया जाएगा और उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

शिकायतकर्ता और गवाह, और मजिस्ट्रेट द्वारा भी

(संहिता की धारा 190 और 200)।"

यह देखते हुए कि एक शिकायत के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई थी, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 28. आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है। आपराधिक कानून को निश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता को आपराधिक कानून लागू करने के लिए शिकायत में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए केवल दो गवाहों को लाना पड़ता है। मजिस्ट्रेट का आदेश अभियुक्त को समन करने से यह पता चलना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है। उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और

दस्तावेजी दोनों साक्षयों की जांच करनी होगी और क्या यह शिकायतकर्ता के लिए अभियुक्त को आरोप सौंपने में सफल होने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को बुलाने से पहले प्रारंभिक साक्षय दर्ज करते समय मूक दर्शक होता है। मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर लाए गए साक्षय की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और वह स्वयं भी शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से सवाल कर सकता है ताकि आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जवाब प्राप्त किया जा सके या फिर यह जांच की जा सके कि क्या कोई अपराध प्रथम दृष्टया सभी या अन्य लोगों द्वारा किया गया है।

अभियुक्तों में से कोई भी।

तथ्यों पर, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप निवारण की धारा 7 के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं करते हैं।

खाद्य मिलावट अधिनियम और इस तरह के आरोप लगाने के लिए शिकायत में कोई आधार नहीं था। उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने तदनुसार शिकायत को रद्द कर दिया। PRADEEP S. WODEYAR v. में निर्णय की उत्पत्ति।

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पेप्सी फूड्स लिमिटेड की स्थापना मजिस्ट्रेट को की गई एक शिकायत पर की गई है, जिस पर धारा के प्रावधान के अनुसार कदम उठाए गए थे। 200 सीआरपीसी से।

70. सुनील भारती मित्तल (उपरोक्त) में, इस न्यायालय के समक्ष मामला 2002 में एक अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के अनुदान में कथित अनियमितताओं के कारण उत्पन्न हुआ। इस मामले की निगरानी इस अदालत द्वारा की जा रही थी। सी. बी. आई. ने एक मामला दर्ज किया और जाँच पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। सी. बी. आई. ने अन्य लोगों के अलावा, तीन दूरसंचार कंपनियों को निम्नलिखित अपराधों के संबंध में अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में उल्लेख किया है।

पी. सी. अधिनियम और संबद्ध अपराधों की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2)। जब मामले को समन जारी करने के लिए उठाया गया था

संबंधित कंपनियाँ। मामलों का संज्ञान लेते हुए न केवल आरोप पत्र में अभियुक्त को बल्कि उपरोक्त तीन व्यक्तियों को भी समन जारी किया गया था। उनमें से दो ने इस अदालत का रुख किया। न्याय तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए ए. के. सीकरी ने कहा कि किसी अपराध का संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट को मामले में अपना दिमाग लगाना चाहिए था ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि आरोप एक अपराध होगा:

" 48. अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग का उपयोग और उसका संतोष है कि

यदि आरोप साबित हो जाते हैं तो यह एक अपराध होगा। इसलिए, यह अनिवार्य है कि किसी शिकायत या पुलिस रिपोर्ट पर, मजिस्ट्रेट इस सवाल पर विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या वह किसी अपराध के होने का खुलासा करता है और इस संबंध में ऐसी राय बनाने की आवश्यकता है। जब वह ऐसा करता है और प्रक्रिया जारी करने का फैसला करता है, तो कहा जाएगा कि उसने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने के स्तर पर, अदालत के समक्ष एकमात्र विचार यह है कि

विवेकपूर्ण ढंग से विचार करें कि क्या अभियोजन पक्ष जिस सामग्री पर अभियुक्त पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव करता है, वह प्रथम दृष्टया मामला सामने लाता है। या नहीं "।

न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का अधिकार है, जिसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।

पुलिस रिपोर्ट में उसकी संलिप्तता को दर्शाने वाली पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि विशेष [2021] 11 एस. सी. आर. द्वारा ऐसी कोई कवायद नहीं की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में, अपीलार्थियों को बुलाने के आदेश को कायम नहीं रखा जा सका। सुनील भारती मित्तल (ऊपर) में निर्णय से उत्पन्न हुआ एक पुलिस रिपोर्ट लेकिन स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति शामिल थी जहां अपीलार्थियों को आरोप पत्र में आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। मजिस्ट्रेट ने उन्हें केवल कंपनी का अहंकार मानते हुए समन जारी किया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अहंकार परिवर्तन के सिद्धांत का एक गलत (और एक 'उलट') अनुप्रयोग था और उन्हें बुलाने का आदेश हो सकता है

टिके नहीं रहते।

71. महमूद उल रहमान (ऊपर) में, प्रतिवादी द्वारा रणबीर दंड संहिता की धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। आई. पी. सी. की धारा 500 की सामग्री)। मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“ 4. [...] शिकायत पर गौर किया, और बयान दर्ज किए। कार्यवाही के पहले उदाहरण में, कथित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानत वारंट जारी किया जाए, जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों को इस अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाए।

सामग्री प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 22-4-2007 पर।”

प्रतिवादी ने मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस न्यायालय के समक्ष, एक तर्क उठाया गया था कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर अपना दिमाग नहीं लगाया था कि क्या आरोप एक अपराध होगा। पेप्सी फूड्स पर भरोसा लिमिटेड (ऊपर), यह देखा गया कि मजिस्ट्रेट को आरोपों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए था और संतुष्ट होना चाहिए कि कथित तथ्य एक अपराध का गठन करेंगे। मजिस्ट्रेट के आदेश को इस अदालत ने इस आधार पर दरकिनार कर दिया था कि आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग के आवेदन का संकेत नहीं देता था। इस मामले में तथ्य पूरी तरह से धारा 190 (1) (ए) सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत आते हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट केवल अपने सामने की शिकायत द्वारा निर्देशित था। इसके अलावा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए धारा 190 (1) (ए) और 190 (1) (बी) के बीच के अंतर पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया है:

" 21. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (बी) के तहत मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट का लाभ मिलता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (सी) के तहत उसे अपराध करने की जानकारी या जानकारी होती है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत उनके सामने केवल एक शिकायत है। अतः संहिता निर्दिष्ट करती है कि "तथ्यों की एक शिकायत जो

यह ऐसा अपराध है "। इसलिए, यदि शिकायत, इसके बावजूद, किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है, तो PRADEEP S. WODEYAR v.

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मजिस्ट्रेट धारा 190 (1) (ए) के तहत संज्ञान नहीं लेंगे।

सीआरपीसी। शिकायत को केवल अस्वीकार किया जाना है। "

72. फखरुद्दीन अहमद (उपरोक्त) में, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धाराओं के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी 420 , 467,468 और 471 आई. पी. सी. मजिस्ट्रेट ने पुलिस को मामला दर्ज करने और इसकी जांच करने का निर्देश दिया। इस प्रकार मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 या 202 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय आदेश दिया कि मामले की जांच की जाए और संहिता की धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए। हालांकि, कोई अवलोकन नहीं किया गया था कि पुलिस के आधार पर संज्ञान आदेश

रिपोर्ट 'सुविचारित' होनी चाहिए। मामले के तथ्यों पर, न्यायालय ने कहा कि चूंकि संज्ञान आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था

न्यायालय, उसके पास समीक्षा करने का अवसर नहीं था कि क्या मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते समय अपना दिमाग लगाया था। इस प्रकार मामले को दस्तावेजों का अध्ययन करने और फिर धारा 482 याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया।

शिकायत करें। हालांकि सुनील भारती मित्तल (ऊपर) में निर्णय आया एक पुलिस रिपोर्ट से, यह पहले के तथ्यों के वर्णन से स्पष्ट है

इस फैसले का हिस्सा यह है कि उस मामले में आरोप पत्र में दूरसंचार कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।

हालाँकि, मजिस्ट्रेट ने यह कारण प्रस्तुत किया कि सी. ई. ओ. दूरसंचार कंपनी का एक अहंकार था, जैसा कि इस अदालत ने अपने फैसले में उल्लेख किया है कि यह अहंकार परिवर्तन सिद्धांत का "उल्टा अनुप्रयोग" था। इसी तरह, फखरुद्दीन अहमद (उपरोक्त) में संज्ञान आदेश एक पुलिस रिपोर्ट पर आधारित था। हालाँकि, इस न्यायालय ने संज्ञान आदेश की वैधता पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया और संज्ञान आदेश जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की समीक्षा नहीं की। इसलिए, उपर्युक्त निर्णयों में से कोई भी अपीलार्थी के तर्क का समर्थन नहीं करता है। यद्यपि उपरोक्त सभी निर्णयों में उल्लेख किया गया है कि मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने से पहले अपने सामने रखी गई सामग्री पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें वर्तमान मामले से तथ्यों पर अलग किया गया है क्योंकि वर्तमान मामले के विपरीत जहां एस. आई. टी. रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया गया था, उन मामलों में शिकायत के आधार पर संज्ञान लिया गया था। एक शिकायत के आधार पर संज्ञान के संदर्भ में मन के अनुप्रयोग के लिए प्रमाण के मानक में अंतर [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और पुलिस रिपोर्ट पर महमूद उल रहमान में संक्षेप में चर्चा की गई है। (ऊपर) और फखरुद्दीन अहमद (ऊपर)। अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एक पुलिस रिपोर्ट और एक निजी शिकायत के आधार पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश द्वारा मन के प्रयोग की समीक्षा के मानक के अंतर पर कानून निर्धारित किया।

74. अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता (ऊपर) में, एक शिकायत थी

एक निजी लिमिटेड कंपनी के खिलाफ एक बैंक के प्रबंधक द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक साजिश के तहत कंपनी विदेशी बाजार से कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे का आयात कर रही थी और उन्हें स्थानीय बाजार में बेच रही थी। सत्यापन पर, प्रवेश के बिल फर्जी पाए गए। शिकायत के आधार पर अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी

दंड संहिता की धारा 420,465,467,468,471,477ए और 120बी के तहत। दो व्यक्तियों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और प्रतिवादी को संदिग्ध के रूप में संदर्भित किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ इनके खिलाफ एक पूरक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

प्रतिवादी और उसके आधार पर, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया था। उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया

संज्ञान लेते हुए। न्यायमूर्ति भानुमति ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (बी) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेते समय, न्यायालय को समन जारी करने से पहले अपनी संतुष्टि के कारण दर्ज करने होते हैं। पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय पर भरोसा करते हुए, अभियुक्त द्वारा यह आग्रह किया गया था कि बिना कारण दर्ज किए प्रक्रिया जारी करने का आदेश सही ढंग से निर्धारित किया गया था

उच्च न्यायालय द्वारा एक तरफ। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग का कोई उपयोग नहीं किया गया था। पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय को इस आधार पर अलग करते हुए कि यह एक शिकायत मामले में संज्ञान लेने से संबंधित है, अदालत ने तब से एक मामले में कहा - पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हुए, मजिस्ट्रेट को सामग्री का अवलोकन करने का लाभ होता है, उसे कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है:

" 23. जहाँ तक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने की बात है

संबंधित, मजिस्ट्रेट के पास आरोप पत्र, गवाहों के बयान और जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए अन्य साक्षय का लाभ होता है। जाँच अधिकारी/एस. एच. ओ. एकत्र करता है

की गई जाँच के दौरान आवश्यक साक्षय दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन

और जाँच के नियमों के अनुसार। साक्षय और इस प्रकार एकत्र की गई सामग्री की जांच अधिकारी के स्तर पर छान-बीन की जाती है और उसके बाद आरोप पत्र दायर किया जाता है।

उपयुक्त रूप में PRADEEP S. WODEYAR v. कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मामले, लोक अभियोजक की राय भी पहले प्राप्त की जाती है आरोप पत्र दाखिल करना। इस प्रकार न्यायालय को लाभ है कि

पुलिस द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री के साथ पुलिस रिपोर्ट करती है।

धारा 190 (1) (बी) सी. आर. पी. सी. के तहत, जहां मजिस्ट्रेट ने

मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि पर्याप्त आधार है कार्यवाही के लिए, मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देता है।

के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने के मामले में

पुलिस रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है

प्रक्रिया जारी करने के कारण। ए पर स्थापित मामलों में

पुलिस रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट को केवल एक पारित करने की आवश्यकता होती है

अभियुक्त को समन जारी करने का आदेश। इस तरह का आदेश

पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर विचार करते हुए मजिस्ट्रेट और स्वयं को संतुष्ट करते हुए कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है

अभियुक्त के खिलाफ। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एक मामले में,

अभियुक्त को समन जारी करने का चरण, मजिस्ट्रेट है किसी भी कारण को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आरोप-पत्र है

कानून द्वारा वर्जित या जहां अधिकार क्षेत्र की कमी है या जब

आरोप-पत्र की अस्वीकृति के लिए अपने कारणों को दर्ज करना आवश्यक है और इसे फाइल में नहीं लेने के लिए "।

(जोर दिया गया)

75. विशेष न्यायाधीश ने, यह ध्यान दिया जाना चाहिए, इस पर संज्ञान लिया

सी. आर. पी. सी. की धारा 173 के तहत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर और किसी निजी शिकायत के आधार पर नहीं। इसलिए, मामला पूरी तरह से अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता (ऊपर) में निर्णय द्वारा कवर किया गया है। विशेष न्यायाधीश अपराध का संज्ञान लेने से पहले प्राथमिकी, गवाह के बयान और संबंधित दस्तावेजों पर ध्यान दिया। इस पृष्ठभूमि में, विशेष न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर दोष देना दूर की बात होगी कि

संज्ञान लेने के लिए विस्तृत कारणों को नहीं जोड़ता है या यह इंगित नहीं करता है कि यह मन का एक अनुप्रयोग है। इस मामले के तथ्यों में, इसलिए, संज्ञान लेने का आदेश गलत नहीं है।

सी. 6 'अधिकृत व्यक्ति' और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22

76. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं करेगा

इस अधिनियम या नियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान लेना, सिवाय उस ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत के। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा। यह [2021] 11 एस. सी. आर. द्वारा तर्क दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी ने कहा कि विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय) के समक्ष अपराध का संज्ञान लेते हुए, अधिकृत व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

77. राज्य में (एन. सी. टी. दिल्ली) v. संजय 57, मुख्य प्रश्न

जो दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के लिए तैयार किया गया था, वह यह था कि क्या मजिस्ट्रेट के पास एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत अधिकृत व्यक्ति की शिकायत के बिना पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है। न्यायमूर्ति एम. वाई. इकबाल ने दो-न्यायाधीशों की पीठ के लिए निर्णय देते हुए कहा कि धारा 22 केवल एमएमडीआर की धारा 4 के उल्लंघन के लिए अभियोजन और अपराधों के संज्ञान को रोकती है।

लिखित शिकायत के बिना कार्य करें और आई. पी. सी. के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए नहीं। अदालत ने अंतर्निहित उद्देश्य और नीति पर भी ध्यान दिया पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एमएमडीआर अधिनियम। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 62. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1-ए) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अलावा किसी भी खनिज के परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरे शब्दों में कोई भी व्यक्ति वैध पट्टा या लाइसेंस के बिना खनन गतिविधि नहीं करेगा। धारा 21 के अनुसार दंडात्मक प्रावधान है।

प्रक्रिया, 1973। अधिनियम की धारा 22 अदालत को अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए प्रतिबंध लगाती है, सिवाय इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 21 एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू नहीं होती है। "तत्काल प्रभाव से किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगी" शब्दों के बजाय, धारा इन शब्दों के साथ शुरू होती है "कोई भी अदालत किसी भी कानून का संज्ञान नहीं लेगी। अपराध।

[.....]

70. एमएमडीआर अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंधों और उसमें दिए गए उपचार के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। जो भी हो,

जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा खनन गतिविधि का उल्लंघन किया जाता है

57 (2014) 9 एस. सी. सी. 772 प्रदीप एस. वोडेयर बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 4 के प्रावधानों और अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत, अधिनियम के तहत सशक्त और अधिकृत अधिकारी सभी का प्रयोग करेगा न्यायक्षेत्र के समक्ष शिकायत करने सहित शक्तियाँ

मजिस्ट्रेट। यह भी विवाद में नहीं है कि मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में दायर शिकायत के आधार पर संज्ञान लेंगे।

अधिकारी उक्त अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर अधिनियम के तहत संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट पर जोर नहीं दे सकता है। दूसरे शब्दों में, अधिकारी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के खिलाफ अधिनियम की धारा 22 में निहित निषेध केवल तभी आकर्षित होता है जब ऐसे व्यक्ति पर धारा के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने की मांग की जाती है। 4
अधिनियम का और किसी ऐसे कार्य या चूक के लिए नहीं जो एक

दंड संहिता के तहत अपराध "।

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निर्णय दिया: -

एमएमडीआर के तहत अपराध का गठन करने वाले तत्व

((i)

अधिनियम और आई. पी. सी. के तहत अपराधों के तत्व अलग-अलग हैं; और

((ख)

आई. पी. सी. के तहत अपराध करने के लिए, रसीद पर

पुलिस रिपोर्ट के संबंध में, अधिकार क्षेत्र रखने वाला मजिस्ट्रेट अधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना संज्ञान ले सकता है। धारा 22 के संदर्भ में केवल उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लेने के लिए शिकायत की आवश्यकता है

एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधान।

78. कंवर पाल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 58, दो न्यायाधीशों की पीठ ने संजय (उपरोक्त) मामले में पहले के फैसले का पालन किया है। जयंत वी. मध्य प्रदेश राज्य ", इससे पहले की अपील

परिवहन और भंडारण) नियम, 2006। जे. एम. एफ. सी. ने संजय (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की जानकारी और निर्णय पर ध्यान देते हुए सी. आर. पी. सी. की धारा 156 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया और एक 58 (2020) 14 एससीसी 331

59 59 (2021) 2 एससीसी 670 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच के लिए आपराधिक मामला। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार पर प्राथमिकियां दर्ज की गईं। उच्च न्यायालय के तहत स्थानांतरित किया गया था एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 में निहित बार के आधार पर एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए धारा 482 सी. आर. पी. सी. खारिज करने के लिए याचिकाएं थीं

संजय (ऊपर) में निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया। संजय (उपरोक्त) मामले में निर्णय का समर्थन करने के बाद, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने पर प्रतिबंध है।

अधिकृत अधिकारी की लिखित शिकायत केवल तभी आकर्षित की जाती है जब अभियोजन एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए होता है और किसी ऐसे कार्य या चूक के संबंध में लागू नहीं होता है जो दंड संहिता के तहत अपराध है। अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के संबंध में तभी लागू होता है जब मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने का इरादा रखता है, न कि जब मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच का आदेश देता है। धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए शिकायत का उल्लेख करना पूर्व-संज्ञान चरण में होगा। न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने कहाः -

" 16 ..... इसलिए, जब मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच के लिए आदेश पारित किया जाता है, जो कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने तत्काल मामले में किया था, जब ऐसा आदेश दिया जाता है तो पुलिस मामले की जांच करने और संहिता की धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होती है। कि इसके बाद जांच अधिकारी को अधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता होती है और उसके बाद जैसा कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत परिकल्पना की गई है, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित अधिकृत

अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है। जाँच अधिकारी और उस स्तर पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के संबंध में सवाल उठेगा।

न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए थे वे इस प्रकार थे -

निम्नलिखित है:

" 21.1 . कि विद्वान मजिस्ट्रेट संहिता आदेश की धारा 156 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है/संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी/एस. एच. ओ. को एम. एम. डी. आर. अधिनियम और बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए भी अपराध का मामला/एफ. आई. आर. दर्ज करने/दर्ज करने का निर्देश दे सकता है।
इसके तहत और इस स्तर पर एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध आकर्षित नहीं किया जाएगा।

प्रदीप एस. वोडियार बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

21.2 . एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध केवल तभी आकर्षित होगा जब विद्वान मजिस्ट्रेट एम. एम. डी. आर. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों का संज्ञान लेगा और एम. एम. डी. आर. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए प्रक्रिया/समन जारी करने का आदेश देगा। 21.3 . आई. पी. सी. के तहत अपराध करने के लिए, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अधिकार क्षेत्र वाला मजिस्ट्रेट शिकायत की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उक्त अपराध का संज्ञान ले सकता है जो एम. एम. डी. आर. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जा सकती है।

21.4 . कि एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में, जब एक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156 (3) के तहत एक आदेश पारित करता है और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी/एस. एच. ओ. को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अपराध का मामला/एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश देता है और उसके बाद जांच के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन का प्रभारी/जांच अधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ-साथ संबंधित अधिकृत अधिकारी को भी भेजा जा सकता है।

इसके तहत और उस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है। 21.5 . ऐसे मामले में जहां उल्लंघनकर्ता को एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23-ए की उप-धारा (2) पर विचार करते हुए धारा 23-ए की उप-धारा (1) के अनुसार जुर्माने के भुगतान पर अपराधों को बढ़ाने की अनुमति है, वहां कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं होगी।

एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अपराधी के खिलाफ। हालाँकि, धारा 23-ए की उप-धारा (2) के तहत प्रतिबंध आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा, जैसे -

आई. पी. सी. की धारा 379 और 414 और उसी पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। "[2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

79. कर्नाटक सरकार ने 21 को एक अधिसूचना जारी की।

जनवरी 2014 में एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 21 (3), 21 (4) और 22 और कर्नाटक लघु खनिज रियायत नियम 1994 के नियम 43 (3) और 46 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया गया। अधिसूचना अधिकृत अधिकारी /

धारा 22 के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी। प्राधिकरण का पाठ नीचे निकाला गया है:

का पदनाम

एस. एल. नहीं।

अधिकारिता

विभाग

अधिकारी/अधिकारी

(4)

(1)

(2)

(3)

खान विभाग और

अतिरिक्त निदेशक

1

पूरा राज्य

(खनिज प्रशासन)

भूविज्ञान

उनके अधिकार क्षेत्र खान और भीतर विभाग

संयुक्त निदेशक,

2

दक्षिण/उत्तर क्षेत्र

भूविज्ञान

खान विभाग और

उप निदेशक (खनिज)

3

पूरा राज्य

प्रशासन)

भूविज्ञान

संबंधित जिले

राजस्व विभाग

उपायुक्त

4

के अधीक्षक

उनके अधिकार क्षेत्र में

पुलिस विभाग

5

पुलिस/पुलिस आयुक्त

के उप संरक्षक

वन विभाग

6

संबंधित अधिकारिता

जंगल।

उपाधीक्षक

संबंधित उप-विभाजन

पुलिस विभाग

7

पुलिस की

खान विभाग और

उप निदेशक/वरिष्ठ

उनके अधिकार क्षेत्र में

8

भूविज्ञानी

भूविज्ञान

संबंधित उप-विभाजन

राजस्व विभाग

9

द अस्ट. कमिश्नर

खान विभाग और

उनके अधिकार क्षेत्र में

भूवैज्ञानिक

10

भूविज्ञान

संबंधित तालुक

राजस्व विभाग

11

तहसीलदार

द सर्कल इंस्पेक्टर /

उनके अधिकार क्षेत्र में

पुलिस विभाग

12

पुलिस निरीक्षक

उनके भीतर

उप-पुलिस निरीक्षक

पुलिस विभाग

13

अधिकार क्षेत्र

संबंधित अभिरुचियाँ

राजस्व निरीक्षक

राजस्व विभाग

14

रेंज वन अधिकारी

15

वन विभाग

संबंधित सीमा

(जोर दिया गया)

80. कर्नाटक सरकार ने 29 को एक अधिसूचना जारी की।

मई 2014 में यह घोषणा की गई कि पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, विशेष जांच दल, कर्नाटक लोकायुक्ता एक 'पुलिस प्रदीप एस. वोडेयर बनाम' होगा।

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 2 (ओं) के प्रयोजन के लिए 'स्टेशन' और खनिजों के अवैध खनन से संबंधित अपराधों के लिए पूरे कर्नाटक राज्य में अधिकार क्षेत्र होगा। एफ. आई. आर. एस. आई. टी., लोकायुक्ता द्वारा दर्ज की गई थी।

16 सितंबर 2013 के इस न्यायालय के आदेश पर पुलिस उप-निरीक्षक, कर्नाटक लोकायुक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 29 मई 2014 की अधिसूचना को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि खनन अपराधों के संबंध में एस. आई. टी. का अधिकार क्षेत्र पूरे कर्नाटक में है। एस. नं. 21 जनवरी 2014 की अधिसूचना की 13 धारा 22 के उद्देश्य के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में 'पुलिस उप-निरीक्षक' को अधिकृत करती है।

एमएमडीआर अधिनियम। इसलिए, दोनों अधिसूचनाओं को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट है कि एस. आई. टी. द्वारा दायर और पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित शिकायत ने एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 का पालन किया है।

सी. 7 प्रत्यावर्ती दायित्व और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23

81. ए-1 ने कहा कि आरोप पत्र में ए-1 की कोई भूमिका नहीं बताई गई है और इसलिए उसके खिलाफ शुरू की गई प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। द. अपीलकर्ताओं ने अपने तर्क के समर्थन में सुनील भारती मित्तल पर भरोसा किया

(उपर्युक्त), शिव कुमार जटिया बनाम। दिल्ली का एन. सी. टी., सुनील सेठी बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य 6 1 और रवींद्रनाथ बाजपेयी बनाम। मैंगलोर

विशेष आर्थिक क्षेत्र सुनील भारती मित्तल (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सामान्य नियम यह है कि व्यवसाय करने वाले लोगों के एक समूह के आपराधिक इरादे को कंपनी पर आरोपित किया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। इस सामान्य नियम को केवल दो अपवाद प्रदान किए गए थे: ((i) जब व्यक्ति ने अपराध को कायम रखा है और व्यक्ति की सक्रिय भूमिका पर पर्याप्त सबूत है; और (ii) क़ानून स्पष्ट रूप से

प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को शामिल करता है। न्यायमूर्ति सीकरी ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहा:

" 43. इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसने किसी कंपनी की ओर से अपराध किया है, उसे कंपनी के साथ आरोपी बनाया जा सकता है, यदि आपराधिक इरादे के साथ उसकी सक्रिय भूमिका का पर्याप्त सबूत है। दूसरी स्थिति जिसमें उसे फंसाया जा सकता है, वह उन मामलों में है जहां वैधानिक शासन स्वयं प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को आकर्षित करता है, विशेष रूप से

इस तरह के प्रावधान को शामिल करना।

60 (2019) 17 एससीसी 193

61 (2020) 3 एससीसी 240

62 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन 806 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. जब कंपनी अपराधी होती है, तो इस आशय के किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में निदेशकों के प्रत्यावर्ती दायित्व को स्वचालित रूप से आरोपित नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण खंड है।

141 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। अनीता में

हाडा [अनीता हाडा बनाम। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड,

(2012) 5 एससीसी 661: (2012) 3 एससीसी (सी. आई. वी.) 350: (2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 241], न्यायालय ने नोट किया कि यदि व्यक्तियों का एक समूह जो मार्गदर्शन करता है

कंपनी के व्यवसाय का आपराधिक इरादा होता है, जो निगमित निकाय पर लगाया जाएगा और इस पृष्ठभूमि में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 को समझना होगा। इस तरह की स्थिति, इसलिए, वैधानिक इरादे के कारण है जो इसे एक काल्पनिक कल्पना बनाती है। यहाँ भी, "अहंकार को बदलने" का सिद्धांत केवल एक दिशा में लागू किया गया था, अर्थात्, जहाँ व्यवसाय का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तियों के एक समूह का आपराधिक इरादा था, वह है निगमित निकाय पर आरोप लगाया जाना, न कि इसके विपरीत। अन्यथा, निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट कार्य होना चाहिए।

कथित रूप से कंपनी के नियंत्रण और प्रबंधन में, इस प्रभाव के लिए कि ऐसा व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार था या

कंपनी की ओर से "। "

"

शिव कुमार जटिया (ऊपर), सुनील सेठी (ऊपर) और

रवींद्रनाथ बाजपेयी (ऊपर) भी सुनील भारती मित्तल (ऊपर) में किए गए इस अवलोकन पर भरोसा करते हैं।

82. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 (1) में कहा गया है कि जहां किसी कंपनी द्वारा अपराध किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो

अपराध के होने का समय प्रभारी था और व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा। परंतुक में कहा गया है कि उप-धारा (1) में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा।

दंडनीय ऐसा व्यक्ति, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

83. एस. एम. एस. में फार्मास्युटिकल्स वी. 3, तीन-न्यायाधीशों की पीठ नेगोशिएबल की धारा 141 के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए

इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जो एम. एम. डी. आर. एक्ट की धारा 23 के समान है, ने नोट किया है कि किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक की स्थिति अलग है क्योंकि उस पद पर आसीन व्यक्ति व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होते हैं। यह देखा गया कि हालांकि एक सामान्य धारणा है

63 (2005) 8 एस. सी. सी. 89 प्रदीप एस. वोडेयर बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक जिम्मेदार हैं।

कंपनी का आपराधिक कार्य, निदेशक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि

अपराध को समाप्त करने के समय कंपनी के आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 9. प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक का पद

एक कंपनी में अलग हो सकता है। इन व्यक्तियों को पदनाम के रूप में

उनके कार्यालय का सुझाव है, एक कंपनी के प्रभारी हैं और हैं

कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार। में।

दायित्व से बचने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अपना मामला लाना पड़ सकता है

धारा 141 (1) के प्रावधान के भीतर, यानी उन्हें साबित करना होगा कि जब अपराध किया गया था तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी

अपराध या कि उन्होंने रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया

अपराध का कमीशन। [.....]

कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति इसके दायरे में नहीं आएगा।

प्रावधान की सीमा। यह केवल वे लोग हैं जो अंदर थे

आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी। इससे यह पता चलता है कि यदि एक निदेशक कंपनी जो प्रभारी नहीं थी और जिसके लिए जिम्मेदार नहीं थी

संगत समय पर कंपनी के व्यवसाय का संचालन,

प्रावधान के तहत उत्तरदायी नहीं होगा। दायित्व उत्पन्न होता है

संबंधित समय पर कंपनी का जब अपराध किया गया था प्रतिबद्ध और केवल एक पद धारण करने के आधार पर नहीं

या किसी कंपनी में कार्यालय। इसके विपरीत, एक व्यक्ति जिसके पास कोई नहीं है

के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने की मुख्य आवश्यकता प्रासंगिक समय पर किसी कंपनी के व्यवसाय का संचालन।

(जोर दिया गया)

दो न्यायाधीशों की पीठ ने इसी सिद्धांत का पालन किया है।

ऐनुद्दीन अब्दुल सत्तार शेख बनाम। विजय डी साल्वी64:

" 12. प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया है कि

शिकायत अपीलार्थी ने यह दावा नहीं किया है कि अभियुक्त

के मामलों के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति था कंपनी। हालाँकि, उत्तरदाता प्रबंध निदेशक था

साल्वी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विशिष्ट की कोई आवश्यकता नहीं है

बिन्दु पर अभिव्यंजक। इस न्यायालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में निर्णय दिया है। लिमिटेड वी. हरमीत सिंह पेंटल [(2010) 3 एस. सी. सी. 330: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 677: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1113] के रूप में निम्नलिखित है: (एस. सी. सी पी. 346, पैरा 39)

" 39. (v) यदि अभियुक्त प्रबंध निदेशक या संयुक्त निदेशक है।

प्रबंध निदेशक को तब विशिष्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है

शिकायत में दावा और उनकी स्थिति के आधार पर वे हैं

जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है "।

84. यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रबंध निदेशक को आरोपित किया जाना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या शर्तें हैं।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है कि क्या व्यक्ति कंपनी के मामलों का प्रभारी और जिम्मेदार था।

अपराध के दौरान। उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी की ओर से जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं, इसका निर्धारण परीक्षण का विषय है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र, वास्तव में, परिवहन के भुगतान के लिए ए-1 और ए-2 की भूमिका बताता है। इसलिए, ए-1 के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला है, जो इस स्तर पर उसे आरोपी के रूप में आरोपित करने के लिए पर्याप्त है।

D. निष्कर्ष

85. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं

नीचे:

((i)

विशेष न्यायालय के पास, एक के अभाव में नहीं है

उस प्रभाव के लिए विशिष्ट प्रावधान, मामले के बिना एमएमडीआर अधिनियम के तहत एक अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 209 सी. आर. पी. सी. के तहत इसके लिए प्रतिबद्ध। विशेष न्यायाधीश का 30 दिसंबर 2015 का संज्ञान लेने वाला आदेश इसलिए अनियमित है।

((ख)

धारा 465 का उद्देश्य देरी को रोकना है परीक्षण का प्रारंभ और समापन। धारा 465 सी. आर. पी. सी. अंतर्वर्ती आदेशों जैसे कि संज्ञान लेने वाले आदेश और समन आदेश पर भी लागू होती है। इसलिए, भले ही संज्ञान लेने का आदेश अनियमित था, यह धारा 465 सी. आर. पी. सी. को देखते हुए कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा; डी. ई. पी. एस. डब्ल्यू. ओ. डी. ई. ए. आर. v.

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

गंगुला अशोक (ऊपर) में निर्णय विशिष्ट था।

परीक्षण के चरण पर आधारित विभेदन के साथ पढ़ा जाना चाहिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 (2) का संदर्भ। धारा 465 (2) यह इंगित नहीं करती है कि इसमें केवल पूर्व-परीक्षण आदेशों की चुनौतियों को शामिल किया गया है।

मुकदमे की समाप्ति के बाद। मुख्य सिद्धांत है कि

सी. आर. पी. सी. की धारा 465 (2) यह बताती है कि एक अनियमित आदेश को चुनौती देने के लिए जल्द से जल्द आग्रह किया जाना चाहिए। यह निर्धारित करते समय कि क्या न्याय की विफलता थी, न्यायालयों को इसे चुनौती के चरण, अपराध की गंभीरता और स्पष्ट इरादे के संदर्भ में संबोधित करना चाहिए अन्य बातों के साथ-साथ कार्यवाही को लंबा करना;

तत्काल मामले में, संज्ञान लेने के दो साल बाद अपीलार्थी द्वारा संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई थी। अत्यधिक देरी की व्याख्या करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। इसके अलावा, 1898 की पूर्ववर्ती संहिता के तहत समादेशित न्यायालय की भूमिका की तुलना में 1973 की संहिता की धारा 209 के तहत समादेशित न्यायालय की घटती भूमिका को देखते हुए, धारा 460 और 461 में दिए गए संज्ञान आदेश में अनियमितता का श्रेणीकरण और अपराध की गंभीरता, न्याय की कोई विफलता प्रदर्शित नहीं की गई है।

यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अपराध का संज्ञान लिया जाता है न कि अपराधी का। हालाँकि, संज्ञान आदेश इंगित करता है कि विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लेने से पहले मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक सामग्री का अध्ययन किया है। लिया गया। आदेश के रूप में परिवर्तन से इसका प्रभाव नहीं बदलेगा। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के तहत कोई 'न्याय की विफलता' साबित नहीं होती है। इस प्रकार यह अनियमितता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 को देखते हुए कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी।

विशेष न्यायालय के पास एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने और धारा 220 सी. आर. पी. सी. के तहत अनुमति होने पर अन्य अपराधों के साथ संयुक्त मुकदमा चलाने की शक्ति है। एमएमडीआर अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो इंगित करता है

कि धारा 220 सी. आर. पी. सी. एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है;

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 बी निहित रूप से निरस्त नहीं करती है

धारा 220 दंड प्रक्रिया संहिता। दोनों प्रावधानों को पढ़ा जा सकता है। सामंजस्यपूर्ण और इस तरह की व्याख्या न्याय और [2021] 11 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

कठिनाई को रोकता है क्योंकि यह एक बहुलता को रोकता है कार्यवाही;

चूंकि विशेष न्यायाधीश द्वारा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया गया था, न कि एक निजी शिकायत के आधार पर, विशेष न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पूरी तरह से तर्कपूर्ण आदेश जारी करे।

अन्यथा यह प्रतीत होता है कि विशेष न्यायाधीश ने अपना आवेदन किया है

सामग्री पर ध्यान दें; 29 मई 2014 और 21 जनवरी 2014 की अधिसूचनाओं के संयुक्त अध्ययन से संकेत मिलता है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 के उद्देश्य के लिए लोकायुक्ता का उप-निरीक्षक एक अधिकृत व्यक्ति है। जिस एफ़. आई. आर. को दूर करने के लिए दर्ज किया गया था

धारा 22 के तहत बार पर उप द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं

लोकायुक्ता पुलिस के निरीक्षक और जानकारी थी

एस. आई. टी. ने दिया। इसलिए, प्रतिवादी ने अनुपालन किया है

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के साथ; और सवाल यह है कि क्या ए-1 प्रभारी था और

के दौरान कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23 (1) के प्रावधान के तहत आवश्यक कथित अपराध को करना मुकदमे का विषय है। ए-1 के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक मामला प्रतीत होता है, जो इस स्तर पर उसे आरोपी के रूप में आरोपित करने के लिए पर्याप्त है।

या उपरोक्त कारणों से, हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। द.

तदनुसार उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। समाप्त करने वाले आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।